

प्रपत्र-1

क्र०सं०	थाना/जिला	कांड सं०	दिनांक	धारा	वादी का नाम पता	अभियुक्तों का नाम, पता	नन बैंकिंग कम्पनी का नाम, पता	घटना का संक्षिप्त विवरण	जब्ती का सारांश	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वर्ष 2011										
1.	बारसोई (कटिहार)	242 / 1 1	02.12.11	406 / 420 भा०द०वि०	सेहराजुन खातुन, पति-मुनीम अहमद, सा०-नौरंगा, थाना-आजमनगर, जिला-कटिहार	1. सहेबा खातुन पति-स्व० जलील, सा०-मल्लिकपुर 2. मो० कैसर आलम, पे०- सरफुद्दीन, सा०- नौरंगा, दोनों थाना- आजमनगर, जिला- कटिहार 3. मो० रबीउल पे०-जाबीर हुसैन, ग्राम-कबुआ रोड (मंगलदोप) 4. काबील सरकार, ग्राम-बंगरूआ, दोनों थाना-हरिश्चन्द्रपुर, जिला-मालदा (प०बंगाल)	ग्रामीण कृषि सुरक्षा बैंक।	यह कांड वादी के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथ० अभि० के विरुद्ध बैंक खोलने एवं बैंक में वादी को प्रलोभन देकर एक लाख रू० जमा कराया एवं उसके एवज में एक लाख रू० वापस करने का आश्वासन दिया। वादी द्वारा जब रुपया निकासी करने बैंक गये तो बैंक को बंद पाये जाने के आरोप में अंकित किया गया है।	—	अनुसंधानन्तर्गत
2.	कोतवाली थाना, कटिहार	178 / 1 1	19.08.11	406 / 420 / 468 / 12 0 बी भा०द०वि०	मो० कमाल अख्तर, पे० अब्दुल रउफ, सा० जलालपुर थाना अतरी, जिला गया	1. प्रताप कु० गुप्ता, पे० स्व० जमुना प्रसाद, मु० जिमा टोला, थाना नासरीगंज, जिला रोहतास 2. राजीव चक्रवर्ती, पे० मेघा तिवारी, सा० बभनगामा, थाना सासाराम, जिला रोहतास 3. रविन्द्र कुमार पे० विश्वनाथ पांडेय सा० धनगई थाना विक्रमगंज जिला रोहतास 4. धर्मेन्द्र सिंह पे० शिवमुनी सिंह सा० धनाव थाना नासरीगंज, जि० रोहतास 5. रविन्द्र श्रीवास्तव पे० नागेंद्र प्रसाद सा० बोंक थाना अकौढ़ीगोला, जि०	हिमगिरी हयूमन वेलफेयर ट्रस्ट गोरलक्षणी सासाराम	हिमगिरी हयूमन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पर बेरोजगार युवक से पैसा लेकर बहाल करने एवं माहवारी पैसा लेने का प्रलोभन देकर पैसा नहीं देने एवं धोखाधड़ी करने के आरोप में अंकित किया गया है।	ट्रस्ट के द्वारा निर्गत किया गया जिला सामाजिक कार्यकर्ता, प्रखंड सामाजिक कार्यकर्ता एवं पंचायत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति-पत्र।	अनुसंधानान्तर्गत

						रोहतास				
3.	आदमपुर थाना, भागलपुर	544 / 1 1	11.10.11	406 / 420 भा0द0वि0	अनिता देवी, पति स्व0 सुखलाल राम, सा0—आनन्दी, बाबुलेन, आदमपुर रोड, थाना—आदमपु र, जिला—भागल पुर	1.आलोक रंजन पे0—नामालूम, आदमपुर चौक स्थित भविष्य निर्माण संस्था का कार्यालय, भागलपुर ।	भविष्य निर्माण संस्था का कार्यालय, भागलपुर ।			
वर्ष 2012										
4.	टिकारी (गया)	165 / 1 2	11.06.12	406 / 420 / 468 / 46 9 / 471 / 477(ए) / 120 (बी0) भा0द0वि0 एवं 70 / 74 आई0टी0 एक्ट	प्रमोद कुमार पिता—गंगा रावत, सा0— निसुरपुर, थाना—टिकारी, जिला—गया ।	1. टाईकोन इम्पायर इन्टरनेशनल लिमिटेड के मालिक 2. राजेन्द्र एस0, चेयरमैन सह मैनेजिंग डायरेक्टर 3. श्री शिव, चीफ कार्यकारी पदाधिकारी 4. श्री मुत्थु विरेन, प्रेसिडेंट 5. श्री कलाल, प्रस्तावक 7. श्री गोकुल पिता— गोपाल नायर, 8. पलानीवेल सदाशिवम, निदेशक 9. भूपति मनोहरण 10. कमला कैन्नन, निदेशक 11. श्री एन0 विनु आनन्द12. कांड के वादी प्रमोद कुमार	टाईकोन इम्पायर इन्टरनेशनल लिमिटेड ।	—	—	अनुसंधानन्तर्गत
वर्ष 2013										
5.	मोकामा (पटना)	84 / 13	28.04.13	406 / 409 / 419 / 42 0 / 467 / 468 / 471 / 12 0 (बी0) / 34	राज किशोर शर्मा, प्रखंड विकास पदाधिकारी,	एक्टिव कम्पनी के अभि0 1. जय कुमार 2. डी0के0 दिवाकर	1.एक्टिव ग्रुप ऑफ कम्पनी । 2.प्रयाग ग्रुप	इन कम्पनियों की कार्यशैली यह है कि वे छोटे—छोटे शहरों में अपनी	एक्टिव ग्रुप ऑफ कम्पनी मोकामा से	अनुसंधानान्तर्ग त

				भा0द0वि0	मोकामा, पटना।	3. अभिनाश झा 4. बंदना शाह 5. पी0यु0एस0 राव 6. प्रदीप कु0 सिंह 7. मो0 इंदरिश 8. पंकज कुमार 9. विनोद कुमार 10. मनोज कुमार 11. महेश प्रसाद सिंह 12. कलिन्दर कुमार 13. अविनाश कुमार 14. अजय कुमार 15. बासुदेव बक्शी 16. लक्ष्मी कांत मिश्रा 17. हरिकांत पाण्डेय 18. कुंदन कुमार 19. मिथिलेश कुमार 20. अमित कुमार 21. राजा भाद्रा 22. शुभन विश्वास 23. सुप्रिया बनर्जी 24. अरुण कुमार सिंह 25. रविंद्र नाथ डे 26. मंतोष मंडल 27. हरि घोष 28. राजेश कु0 सिंह 29. मुरारी सिंह 30. विपिन सिंह 31. शम्भु सिंह 32. महेश प्रसाद सिंह	कम्पनी। 3.टपइहलवत।ससपमक पदतिजतनबजनतम सपउपजमक	शाखाएं खोलकर लोगों को पैसा कम समय में कई गुणा करने का प्रलोभन देकर पैसा जमा लेते थे जबकि इन कम्पनियों को सेबी/आर0बी0आ ई0 से मान्यता प्राप्त नहीं थी।	36,850 रु0 रु0 एवं अन्य कागजात प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनी से 94,930 रु0 एवं अन्य कागजात, भीज्जोर नन बैंकिंग कंपनी से 3,74,300 रु0 एवं अन्य कागजात जब्त किया गया।	
6.	गाँधी मैदान (पटना)	151/13	29.04.13	408/409/420/467/ 468/470/471/ 120(बी0)/34 भा0द0वि0	विनय कुमार, पु0अ0नि0, गांधी मैदान थाना, पटना।	1. धर्मेन्द्र कुमार पे0 सरयुग साव सा0 लखाचक जिला लखीसराय वर्तमान गड़हरा थाना बरौनी जिला बेगूसराय2. देवकांत पे0 स्व0 विजय प्रसाद सा0 अलकापुरी रोड नं0-15 थाना	प्रयाग ग्रुप ऑफ कम्पनी	धोखा धड़ी कर कम्पनी के जारी बुकलेट में व्यवसाय से अलग हटकर उसके आड़ में अभिकर्ता के माध्यम कम समय में रुपया जमा कराकर दुगुना किये जाने की बात बता कर पैसा जमा	प्रयाग ग्रुप कम्पनी के नाम का दस्तावेज, ग्राहकों से जमा कराया गया रुपया से संबंधित दस्तावेज, चेक आदि	1. धर्मेन्द्र कुमार 2. देवकांत 3. दीपक कुमार 4. राजकिशोर पंडित के विरुद्ध आरोप पत्र सं0- 194/13

						गर्दनीबाग जिला पटना3. दीपक कुमार श्रीवास्तव पे0 प्रफुल लाल सा0 एकौना थाना डुमराँव जिला बक्सर।4. राजकिशोर पंडित पे0 राम प्रसाद पंडित सा0 मोगलपुरा जगी का चौराहा थाना खाजेकला, जिला पटना 5. बी0 बगाची चेयरमैन, 6. लक्ष्मीकांत (एम0डी0)7. एच0एन0 पाण्डेय रिजनल मैनेजर सभी प्रयाग ग्रुप ऑफ कम्पनी।		कराने अमानत में ख्यानत करने के आरोप में दर्ज है।		दिनांक 26. 07.13 समर्पित किया गया है। शेष बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान जारी है।
7.	बाढ़ (पटना)	89 / 13	28.04.13	406 / 409 / 419 / 42 0 / 467 / 468 / 471 / 12 0 (बी0) / 34 भा0द0वि0	निपुन भूषण प्रसाद, पु0अ0नि0 बाढ़ थाना, पटना।	एंजिल एग्रिटेक लि0 के अभि0 1—शेख हसीबुल हक 2—अताउर रहमान, 3. शान्तनु सिंह 4. आलम गिर हसैन 5. शुभाशीष साही, आई कोर ई0 सर्विसेज लि0 के अभि0 6. अनुकुल सेसी 7. विजय कुशवाहा, एराईज भुमि डवलपर्स लि0 के अभि0 8. रविरंजन सिंह 9. विनोद कुमार सिंह 10. सुबोध कुमार 11. पप्पु कुमार सिंह 12. के0के0 श्रीवास्तव 13. इम्तेयाज आलम 14. रविशंकर	1—एंजिल 1—एग्रिटेक ग्रुप ऑफ कम्पनीज, 2—आईकोर ई—सर्विसेज लिमिटेड 3—एराईज भूमि डवलपर्स मिलिटेड, एच0डी0एफ0सी0 बैंक के उपरी तल्ल	नन बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जनता के साथ धोखा धड़ी कर पैसा गबन करने के आरोप में।	सभी कंपनियों से 4,35,690 रु0 एवं अन्य अभिलेख बरामद किया गया।	अनुसंधानान्तर्ग त

8.	बाढ़ (पटना)	99 / 13	03.05.13,	406 / 409 / 419 / 420 / 467 / 471 / 120(बी0) / 34 भा0द0वि0	उमेश चौधरी, पिता—स्व0 सहवीर चौधरी, सा0—बोढ़नी चक मिलकी, थाना—बाढ़, जिला—पटना	1. दुर्गा प्रसाद दुबे 2. रोहित उपाध्याय 3. युसूफ आजाद 4. सेदीप मिश्रा	पियर्स एलार्ड कॉरपोरेशन।	नन बैंकिंग कम्पनी द्वारा जनता को अधिक ब्याज एवं रुपया को कम समय में दुगना एवं तीगुना करने का प्रलोभन देकर पैसा जमा कराना।		अनुसंधानान्तर्गत
9.	बख्तियार पुर (पटना)	81 / 13	27.04.13	420 / 467 / 468 / 406 / 409 / 120(बी0) भा0द0वि0	बच्चु पंडित, स0अ0नि0, बख्तियारपुर थाना, पटना।	1—शशि कुमार पिता श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, सा0 अबुमहमदपुर, थाना बख्तियारपुर, वर्तमान असिस्टेन्ट ब्रांच मैनेजर, चक्र ग्रुप ऑफ लाईफ साईकिल, 2—अनंत पाण्डेय पिता स्व0 यमुना पाण्डेय, सा0 बख्तियारपुर, थाना बख्तियारपुर, जिला पटना वर्तमान एजेन्ट चक्र ग्रुप ऑफ लाईफ साईकिल 3. पाथ चक्रवर्ती 4. सोम चक्रवर्ती 5. सुमन मजुमदार 6. जपन मजुमदार 7. संतोष कुमार निलम 8. सोमनाथ भटाचार्या 9. देवश पाण्डेय 10. उदय जसवाल 11. शम्भु कुमार	चक्र ग्रुप ऑफ लाईफ साईकिल	नन बैंकिंग कम्पनी द्वारा जनता को लालच देकर पैसा ठगना	1—54790 /—रुपय 1, 2—सैमसंग का मोबाईल नंबर सीम कार्ड, 3—डेल कंपनी का लैपटॉप एवं अन्य कागजात बरामद	अनुसंधानान्तर्गत
10.	खुसरूपुर (पटना)	41 / 13	03.06.13	408 / 409 / 467 / 468 / 471 / 120(बी0) भा0द0वि0	दिनेश कुमार, पु0अ0नि0, खुसरूपुर थाना, पटना।	1. मैनेजिंग डायरेक्टर शाहजादा खान 2. डायरेक्टर समसुल अली खान 3. डायरेक्टर राम कृष्ण मंडल 4. रिजनल मैनेजर चंदन यादव5. खुसरूपुर	कोलकत्ता बियर इंडस्ट्रीज लि0	कम्पनी द्वारा कम समय में ज्यादा ब्याज देने का प्रलोभन देकर लोगों का रुपया जमा कराने एवं फर्जीवाड़ा करने	जालसाजी से संबंधी फार्म, रजिस्टर, फाईल, शेयर संबंधित कागजात, लेजर रजिस्टर,	अनुसंधानान्तर्गत

						के ब्रांच मैनेजर सुधीर कुमार 6. लेखापाल रणविजय कुमार		के आरोप ।	भाउचर, चेक, सी0पी0यु0 एवं मोनिटर आदि ।	
11.	मनेर (पटना)	154 / 1 3	30.04.13	406 / 409 / 419 / 42 0 / 467 / 468 / 471 / 12 0 (बी0) / 34 भा0द0वि0	मो0 शकील पिता मो0 कासीम सा0 महिनावां थाना मनेर जिला पटना	1. लाल बाबु गुप्ता, प्रबंधक धनौटी डेवलपर्स 2. राजेश कुमार, एजेन्ट तथा अन्य	धनौती डेवलपर्स लिमिटेड	बिना अनुज्ञप्ति के साजिश के तहत रुपया जमा करने तथा अमानत में ख्यानत करने के आरोप में	कार्यालय का कम्प्युटर प्रिंटर, टेबुल कुर्सी, सी0डी0, यु0पी0एस0 एवं कागजात जप्त किया गया ।	अनुसंधानान्तर्गत ।
12.	मनेर (पटना)	155 / 1 3	30.04.13	406 / 409 / 419 / 42 0 / 467 / 468 / 471 / 12 0 (बी0) / 34 भा0द0वि0	पु0अ0नि0 आदित्य कुमार थानाध्यक्ष मनेर जिला पटना	1. पपाई राय मुख्य संचालक , पिता रणजीत विश्वास सा0 भुधर टोला व्यापुर थाना मनेर जिला पटना एवं अन्य सहयोगी	मपतकधूम नन बैंकिंग कंपनी	बिना अनुज्ञप्ति के साजिश के तहत रुपया जमा करने तथा अमानत में ख्यानत करने के आरोप में	1 3664 / —रुपया, 2. सी0पी0यू0—एक, 3. आयरन चेस्ट जो कि बंद है । 4. इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन वेयर्ड का मोहर तथा अन्य कागजात एवं सामान ।	अनुसंधानान्तर्गत ।
13.	मसौढ़ी (पटना)	146 / 1 3	30.04.13	420 / 467 / 468 / 46 9 / 471 / 406 / 409 / 12 0 (बी0) / 34 भा0द0वि0	राकेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, मसौढ़ी ।	1. संजय बोस, 2. कमलेश कुमार 3. अनुपम कुमार 4. धमेन्द्र कुमार 5. नागेन्द्र कुमार सिंह 6. प्रिय रंजन 7. आर0 पी0 गुप्ता 8. गौरव कुमार 9. राकेश कुमार रंजन 10. एम0डी0 नाम नामालुम 11. अरुणेश कुमार 12. देवनाथ प्रसाद 13. इन्द्रजीत कुमार 14. रामबाबु यादव एम0डी0 15. शंभु प्रसाद 16.	1. बीयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड 2. विश्वमित्र इंडिया परिवार 3. इन्डस बीयर इंडस्ट्रीज 4. पनेसिया इंटरनेशनल कम्पनी 5. प्रयाग गुप कम्पनी	धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर जनता की गाढ़ी कमायी को ठगना	सभी कम्पनियों से 16340 रुपये एवं अन्य अभिलेख बरामद किये गये	अनुसंधानान्तर्गत ।

						एम0डी0 नाम नामालुम ,शाखा प्रबंधक नाम नामालुम 17. कम्प्युटर ऑपरेटर नाम नामालुम एवं अन्य अज्ञात				
14.	गर्दनीबाग (पटना)	141 / 1 3	02.05.13	408 / 409 / 420 / 467 / 468 / 120 (बी0) भा0द0वि0	महेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अंचला अधिकारी, सदर, पटना।	प्रा0अभि0 1. मनोसजी चटर्जी, 2. सुशील कुमार झा 3. प्रिय रंजन सिन्हा 4. विक्रम कुमार साहा 5. पिंटु सेन एवं अप्र0अभि0 6. शिवमुनी दत्ता मैनेजिंग डायरेक्टर 7. गौतम कुन्डु चैयरमैन, 8. रामलाल गोवस्वामी डायरेक्टर 9. अधीर कुन्डु डायरेक्टर 10. अशोक कु0 साहा डायरेक्टर 11. लक्ष्मी नारायण डायरेक्टर	रोज वैली होटल एन इंटरटेनमेंट अनीशाबाद, पटना	बिना अनुज्ञप्ति क साजिश के तहत धोखाधड़ी कर रैकरिंग एवं फिक्स डिपोजिट के नाम पर पैसा लेने एवं बैंक के नियम के विरुद्ध पैसा नहीं लौटाने के संबंध में।	कुल पांच लाख तीस हजार दो सौ अस्सी रुपया बरामद किया गया।	अप्राथ0 अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अन्य बिन्दुओं पर जॉच हेतु।
15.	किशनगं ज	148 / 1 3	30.04.13	406 / 420 भा0द0वि0	साह फैसल पे0—सहुल अमीन, सा0—सैदपुर पिछला, थाना— चकुलियाँ, जिला—उत्तर दिनाजपुर, प0 बंगाल।	ब्रांच मैनेजर मो0 सौहेल अहमद, पिता—मो0 इस्माईल, सा0—उत्तर तेलिया पोखर, पो0—पॉजीपाड़ा, थाना—ग्यावपोखर, जिला—उत्तर दिनाजपुर (प0बंगाल) वर्तमान ब्रांच मैनेजर प्रयाग गुप शाखा, किशनगंज एवं अन्य अज्ञात।	प्रयाग इन्फोटेक हाई—राईज कम्पनी	वादी शाह फैसल के लिखित आवेदन के आधार पर ब्रांच मैनेजर मो0 शोहेल अहमद द्वारा प्रयाग इन्फोटेक हाई राईज लि0 में धोखाधड़ी कर रुपया जमा कराना एवं वादी द्वारा मांग करने पर वापस नहीं करने के आरोप में कांड अंकित किया गया है।	कुल—2,92,000 रुपये का गबन किया गया है।	अनुसंधानान्तर्ग त।

16.	किशनगंज	198 / 13	02.06.13	406 / 420 / 120 (बी) भा0द0वि0	दिलीप कुमार साहा पे0स्व0 अनुप साहा, सा0माछमारा, खगड़ा, थाना+ जिला— किशनगंज	1. संदीप सेन पे0 स्व0 निपेद्र ना0 सिंह, सी0एम0डी0 शारदा रियलिटी इंडिया लि0, सा0 एच0ए0—115 साल्ट लेक सिटी कोलकत्ता— 700106 2. देवजानी मुखर्जी, एक्सक्युटिव डायरेक्टर, शारदा रियलिटी इंडिया लि0, सा0 01, मुखर्जी पारा लेन, ठकुरिया कोलकत्ता 700031 3. राजेश कु0 मिश्रा, तत्कालीन शाखा प्रबंधक शारदा रियलिटी इंडिया लि0, कोलटेक्स चौक, थाना बाजील, किशनगंज 4. उमकार मल्लिक, सीनियर डिलर, एम0सी0 यूनिट, डभलपर, शारदा रियलिटी इंडिया लि0, क्षेत्रीय कार्यालय सिल्लीगुड़ी, सेवक रोड, एस0बी0आई0 ट्रेनिंग के सामने, थाना सिल्लीगुड़ी, जिला दाजर्लिंग (पं0 बंगाल) 5. गौतम चौधरी, जेनरल मैनेजर, शारदा रियलिटी इंडिया लि0, सिल्लीगुड़ी, जिला दाजर्लिंग	शारदा रियाल्टी इण्डिया लिमिटेड।	—		अनुसंधानान्तर्गत।
17.	बारसोई (कटिहार)	59 / 13	08.05.13	406 / 420 / 467 / 34 भा0द0वि0	श्रीमती रागनी साहू पति—डॉ0 सीताराम साहू, सा0—डुमरा, थाना सिंधिया, जिला—समस्तीपुर	1. मो0 मुब्बसीर पे0 फैयाज, सा0—मानमन, थाना—बारसोई 2. दिलमोहन कुमार पे0—कालाचन्द्र यादव, 3. अनिल कुमार पे0—कालाचन्द्र यादव, दोनों सा0—देवगाँव, थाना—आजमनगर, जिला—कटिहार 4. अब्दुल कयूम पे0—	1. इनफिटी रियल कॉन लि0 2. प्रयास प्रोजेक्ट इंडिया लि0 3. पोली एग्रीकल्टीभेशन	—	—	शेष 03 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लंबित।

					वर्तमान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बारसोई, जिला- कटिहार।	रुस्तम अली, सा0- भगवानपुर, थाना- हरिश्चन्द्रपुर, जिला- मालदा (प0बंगाल) 5. इनफिनटी रियल कॉन लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यगण। 6. प्रयास प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यगण। 7. पॉली एगीकल्टीभेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यगण।				
18.	वीरपुर (सुपौल)	117 / 13	06.05.13	419 / 420 / 409 / 467 / 468 / 471 / 120(बी) / 34 भा0द0वि0 एवं 68 / 58 (ए) कम्पनी एक्ट एवं 58(बी)(c)(cc) आर0बी0आई0 एक्ट, 1934	धर्मवीर कुमारी साथी, पु0अ0नि0, वीरपुर थाना, सुपौल।	1. प्रतिज्ञा हाउसिंग फाईनेंस एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, शाखा- वीरपुर के सहायक मैनेजर नीतीश कुमार दास, पे0- स्व0 शिवशंकर लाल दास, सा0- सीतापुर, थाना- वीरपुर, जिला- सुपौल। 2. मैनेजर मो0 शब्बीर, 3. रिजनल मैनेजर, मो0 सरफराज, दोनों सा0- भागलपुर। 4. मालिक समबीत बनर्जी, पे0- दीपतेन बनर्जी 5. पार्टनर शरिया बनर्जी, पति- दीपतेन बनर्जी 6. रुमा बनर्जी, पुत्री- हृदयकृष्ण चटर्जी 7. दीपतेन बनर्जी बनर्जी, पे0- स्व0 जितेन्द्र नाथ बनर्जी	प्रतिज्ञा हाउसिंग फाईनेंस एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, शाखा- वीरपुर।	यह कांड वादी पु0अ0नि0 धर्मवीर कुमार साथी, पे0 श्री शिव नारायण दास, सा0 बड़ी छरियारी, थाना थरथरी, जिला नालंदा, वर्तमान वीरपुर थाना जिला सुपौल के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभि0 प्रतिज्ञा हाउसिंग फाईनेंस एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड एवं अन्य 11 नामजद के विरुद्ध अवैध रूप से फर्जी बैंक खोलकर भोले- भाले नागरिकों को पैसा ठगने के आरोप में दर्ज किया गया है।	1. प्रतिज्ञा हाउसिंग फाईनेंस एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड डेली पासबुक ब्रांच मैनेजर द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ। 2. आधा अधूरा भरा हुआ अहस्ताक्षरित डेली पास बुक का 37 अदद विभिन्न नामों का 3. प्रतिज्ञा हाउसिंग फाईनेंस एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड का फार्म 30 अदद अधूरा भरा हुआ। 4. विभिन्न ग्राहकों का पासपोर्ट साईज का फोटो। 5. प्रतिज्ञा हाउसिंग फाईनेंस एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के मालिक श्री दिपेन बनर्जी का हस्ताक्षर किया हुआ कुल नौ अदद बॉन्ड	अनुसंधानान्तर्गत।

						8. सोमा बनर्जी, पुत्री-परिमल चक्रवर्ती, सभी सा0-25 बेचराम चटर्जी राड़, बेहाला, कोलकाता। 9. सुनीता गुवालेवाला, पुत्री-श्री विश्वनाथ मुरारका 10. प्रीमेश गुवालेवाला, पिता-प्रभात कुमार गुवालेवाला, दोनों सा0-70 / 3ए गौरीबारी लेन, कोलकता 11. प्रयाग गुप । वेनेम विडनसजप चतवरमबज भू च45 ठीवचमद त्वल त्वंकए ज्ञवसांज के मालिक मैनेजर तथा अन्य कर्मचारीगण, हा0मो0 - सेन्ट्रल बैंक रोड़, वीरपुर, भाभी लॉज तथा 12. कोशी सेन्ट्रल कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड शाखा वीरपुर के मालिक, मैनेजर तथा अन्य कर्मचारीगण।			पेपर। 6. एल0 एम0डी0 श्री दिपेश बनर्जी का हस्ताक्षरित वीरपुर मंथली मैच्यूरिटी स्टेटमेंट। 7. रिन्यूवान रजिस्टर जो 140 पृष्ठ का है। 8. रिन्यूवान रजिस्टर का दूसरा, तीसरा, चौथा, एवं पांचवा खण्ड पृष्ठ अंकित नहीं। 9. बॉन्ड पंजी पृष्ठ अंकित नहीं 10. लेखा पंजी जिसमें क्रमांक 248 तक पेज किया हुआ। 11. सादा पंजी 12. कमिशन पंजी जिससे एजेंट का भुगतान होता है एवं अन्य कार्यालय अभिलेख।	
19.	नगर (सुपौल)	174 / 1 3	06.05.13	406 / 409 / 420 / 46 7 / 468 / 471 / 34 भा0द0वि0	राम सहाय राय, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष, सुपौल।	1. श्री बाला साहब बी0 भास्कर, साई दरबाद सुखावनी उदयन सोसाईजी पीम्परीचिंचवाद, चिंक रोड ऑपोजिट देवी लिंक सोसाईटी, पूणे 2. साई दरबार श्रीमति बैदना बी भास्कर 3. श्री शशांक बी भास्कर पिता बालेश्वर भास्कर पता	1. प्रयाग गुप कम्पनी 2. साई प्रा0 प्रोपर्टीज लि0 3. राहुल हाई राईज लिमिटेड 4. कोलकता वेय इंडस्ट्रीज लि0 5. एंजेल एग्रीटे ग्रुप ऑफ	यह कांड वादी राम सहाय राम पु0नि0 सह थानाध्यक्ष सुपौल के स्वयं लिखित आवेदन के आधार पर प्रा0 अभि0 श्री बाबला साहेब बी भास्कर साई दरबार सुखवानी	कार्यालय कागजात	अनुसंधानान्तर्गत।

						भक्ती प्रदेश चिंचवाद पूणे- 411033 4. ओम प्रकाश अग्रवाल 5. मनोज अग्रवाल कुमार दोनों सा0 श्री अपार्टमेन्ट 138 ळज त्वंक;वनजीद्धथसंज दवण512. भूती.7111 92 प0बंगाल 6. शेख शब्बीर सा0 296 138 ळज त्वंक 40 शिवपुर हावड़ा प0बंगाल 7. शेख बसीरुल इस्मा सा0 30 / 1बी आनंद कुमार चौधरी लेन शिवपुर हावड़ा प0 बंगाल 8. सपन कुमार नायक सा0 हरिन खोला आरामबाग हुगली प0बंगाल एवं राहुल हाई राईज लि0 के डायरेक्टर 9. राहुल बनर्जी 10. दीपेन बनर्जी 11. दीपांकर गुप्ता 12. अनिल लहोड़ी 13. श्री एम0बोस प्रधान कार्यालय न्यू अलीपुर पी0 ब्लाक कुंदन लाल सहगल सरानी कोलकता 14. डायरकेटरस कोलकता वेरय इन्डस्ट्रीज, 15. डायरेक्टरस प्रयाग गुप्त 16. प्रतिज्ञा गुप के डायरेक्टरस	कम्पनोज	उदयन सोसायटी पिम्परी चिंचवाद चिंक रोड, अपोजिट देवी लिंग सोसायटी पूणे एवं अन्य 15 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक के शर्तो का नहीं पूरा कर आम जनता को झासा एवं प्रलोभन देकर गलत कागजात प्रस्तुत कर ठगी करने एवं जमा नगद राशि को साढ़े पांच वर्ष में दो गुणा करने का प्रलोभन देकर ठगी करने के आरोप में दर्ज किया गया।		
20.	सुपौल	377 / 1 3	17.08.13	406 / 420 / 467 / 120(बी) भा0द0वि0	राम कुमार मेहता, पे0—वासुदेव मेहता, सा0—रामनगर, थाना—पिपरा,	1. शेख हसीबुल हक पिता—शेख अब्दुल कादीर, सा0—8ए0पी0 सी0 रोड, थाना— मछलीपाड़ा, कोलकाता 700009 2. शेख नजीबुला पिता—शेख जिलुर रहीम, सा0— चक	एन्जिल एग्रीटेक लिमिटेड कम्पनी सुपौल।	यह कांड वादी राम कुमार मेहता पिता श्री वासुदेव मेहता सा0 रामनगर थाना पिपरा जिला	—	अनुसंधानान्तर्गत।

					जिला-सुपौल	आहाम्मद, जिला-हुबली 712615 3. सुरनीमल गोस्वामी, पिता- जनहुजा बेहारी गोस्वामी 4. पापिया गोस्वामी, पिता-सुरनीमल गोस्वामी, दोनों सा0- गईसपुर (पुरबंगसौ) थाना-इंगलिस बाजार, जिला-मालदा, पश्चिम बंगाल 732101 5. उदया पानीग्रही, पिता-भागीरथ पानीग्रही, सा0- ब्रम्मनी, जिला- भादरख, उड़ीसा 756165 6. संतोष कुमार मिश्रा पिता-बानामाली मिश्रा, सा0-मिरजापुर अच्युतापुर खैरा, बालासौर, उड़ीसा 7560017. अजय राय पिता- मानिकचन्द्र राय, सा0-चकरवेड़िया लेन, कोलकाता 700020 8. अनन्त कुमार पाण्डेय पिता-ब्रज किशोर पाण्डेय, सा0- चाड़ाई, पो0-भेलाई, थाना-उदवंतनगर, जिला-भोजपुर (आरा) 9. मुकेश कुमार पिता-गणेश साह, सा0-गृह सं0-37, फतेहपुर, थाना- बलिया, जिला- बेगूसराय।		सुपौल के कोर्ट नालसी के आधार पर प्रा0 अभियुक्त 1. शेख हसीबुल हक एवं अन्य 8 नामजद के विरुद्ध भारतीय रिजर्व बैंक के शर्तों को पूरा नहीं कर आम जनता को झासा एवं प्रलोभन देकर गलत कागजात प्रस्तुत कर ठगी करने एवं जमा नगद राशि को कम समय में दो गुणा करने का प्रलोभन देकर ठगी करने के आरोप में दर्ज किया गया है।		
21.	सुपौल	399 / 1 3	27.08.13	420 / 406 / 380 / 12 0 (बी) / 34 भा0द0वि0	चन्द्रशेखर पिता-स्व0 जागेश्वर झा, ग्राम्यशील परिसर, वार्ड नं0-14, थाना+जिला- सुपौल।	1. पारस कुमार उर्फ पारस झा पिता-श्री बालकृष्ण झा, प्रतापनगर, थाना+ जिला-सहरसा। 2. अशीष कुमार झा उर्फ विक्की पिता-स्व0 नागेन्द्र झा, सा0- संस्कृत निर्मली, थाना-बलुआ बाजार, जिला-सुपौल। 3. अमित कुमार उर्फ टुटु पिता-स्व0 ललन सिंह, सा0-गौतमनगर, थाना+जिला-सहरसा। 4. विमल कुमार सिंह उर्फ मिथलेस पिता-	प्रगति फाउन्डेशन फौर सस्टनेबल ग्रोथ कम्पनी, सुपौल।	यह कांड वादी चन्द्रशेखर पिता स्व0 जागेश्वर झा, ग्राम्यशील परिसर वार्ड नं0 14 थाना वो जिला सुपौल के कोर्ट परिवाद सं0 866सी/13 के आधार पर प्रा0 अभि0 पारस कुमार उर्फ पारस झा एवं अन्य 5 नामजद के विरुद्ध अवैध रूप से	—	अनुसंधानान्तर्गत।

						रामावतार सिंह, सा0 बलवा पुनर्वास, थाना+जिला-सुपौल। 5. अभिषेक आनन्द उर्फ मोनू पिता-रविन्द्र कुमार वर्मा, सा0-नयानगर, वार्ड नं0-14, थाना+ जिला-सुपौल। 6. सुनील कुमार सुमन पिता-लक्ष्मी प्रसाद मंडल, सा0- करिहो, थाना+ जिला-सुपौल।		रूपया वसूली कर रख लेने एवं दस्तावेज चोरी करने एवं इन्टरनेट पर फेस बुक के माध्यम से गलत दुष्प्रचार करने के आरोप में दर्ज किया गया है।		
22.	पिपरा (सुपौल)	247 / 1 3	22.11.13	406 / 420 / 468 / 47 1 / 472 / 120(बी) / 34 भा0द0वि0	सुभाष चन्द्र प्रसाद पे0-देवनारायण साह, सा0-थुमहा, थाना-पिपरा, जिला-सुपौल	1. वाजिद अंसारी पे0-हाफीज मियाँ उर्फ हाफिज अंसारी, मैनेजिंग डाईरेक्टर लॉग लाईफ कॉन्सेप्ट मार्केटिंग लिमिटेड 2. अहमद अंसारी पे0-हाफिज मियाँ उर्फ हाफिज अंसारी, 3. हाफिज मियाँ उर्फ हाफिज अंसारी, पे0-हारुण अंसारी, सा0-151, रामापूर्वा नया गाँव, थाना-बगहा 4. रवि शंकर शुक्ला, डायरेक्टर, लॉग लाईफ कॉन्सेप्ट मार्केटिंग लिमिटेड, पश्चिम चम्पारण। 5. छंगुर काजी, डाईरेक्टर हाउस नं0- 16, सा0-झरहरवा मटिया, जिला-पश्चिम चम्पारण। 6. रमेश कुमार शर्मा, डाईरेक्टर, सा0- तेलिया टोला, बगहा- 01, प0 चम्पारण। 7. छोटू कुमार उर्फ रविन्द्र कुमार पे0- ललन प्रसाद सिंह, सा0-संथौल, थाना- मटियारी, जिला-प0 चम्पारण। 8. मोहन पटवारी, पे0-अंकित नहीं, सा0+थाना-गोवरथना, वार्ड नं0-अंकित नहीं,	लॉग लाईफ कॉन्सेप्ट पी0भी0टी0 कम्पनी, पिपरा।	यह कांड वादी सुभाष चन्द्र प्रसाद पे0 देव ना0 साह सा0 थुमहा, थाना पिपरा जिला सुपौल के परिवाद पत्र सं0-1106सी / 20 13 के आधार पर प्रा0 अभि0 वाजिद अंसारी पे0 हाफीज मियाँ उर्फ हाफीज अंसारी, मैनेजिंग डाईरेक्टर लॉग लाइफ कॉन्सेट मार्केटिंग लिमिटेड एवं अन्य 08 के विरुद्ध अवैध रूप से फर्जी बैंक खोलकर नागरिकों को पैसा ठगने के आरोप में दर्ज किया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्गत।

						जिला-प0 चम्पारण। 9. मनोज कुमार उर्फ मनोज पटेल, पे0- अंकित नहीं।				
23.	महिला (सुपौल)	26 / 13	19.08.13	420 / 406 / 323 / 50 4 भा0द0वि0	शारदा देवी उर्फ श्रद्धा देवी पति-महेन्द्र मंडल, सा0- बेला टोला, निर्मली।	1. शिवों मंडल उर्फ शिव मंडल, पे0-स्व0 जुगल मंडल, 2. गुडडी कुमारी, पे0-शिवों मंडल 3. फूलो देवी, पति- शिवो मंडल, तीनों नवटोल थुमहा, थाना- पिपरा, जिला-सुपौल। 4. निर्देशक एवं प्रबंधक, लॉग लाईफ कांसेप्ट मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड, नीयर पुलिस लाईन, कचहरी रोड, बगहा, प0 चम्पारण।	लॉग लाईफ कांसेप्ट मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड कम्पनी, बगहा- 02 शाखा कार्यालय, थुमहा।	यह कांड वादिनी शारदा देवी उर्फ श्रद्धा देवी, पति महेन्द्र मंडल सा0 बेला ओला निर्मली, थाना पिपरा, जिला सुपौल के कोर्ट परिवाद पत्र सं0 807सी/13 के आधार पर प्रा0 नामजद अभि0 1. शिवों मंडल एवं अन्य तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध धोखाधड़ी कर पैसा गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्ग त।
24.	नगर (मोतिहारी)	188 / 1 3	02.05.13	406 / 408 / 420 / 46 7 / 468 / 471 / 120(बी) / 34 भा0द0वि0	राजेन्द्र सिंह, अंचला अधिकारी, कोटवा, मोतिहारी।	देवेन्द्र कुशवाहा एवं अन्य 14 अभियुक्त	रोज वैली सेन मार्केटिंग सिस्टम लि0, मोतिहारी।	—	47,000 / — रू0	अनुसंधानान्तर्ग त।
25.	नगर (मोतिहारी)	189 / 1 3	03.05.13	406 / 408 / 420 / 46 7 / 468 / 471 / 120(बी) / 34 भा0द0वि0	रमण कुमार चौपाल, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तुरकोलिया, मोतिहारी।	संतोष कुमार एवं अन्य 04 अभियुक्त	समृद्ध जीवन फुड इंडिया लि0, मोतिहारी।	—	—	अनुसंधानान्तर्ग त।
26.	छतौनी (मोतिहारी)	87 / 13	02.05.13	420 / 467 / 468 / 47 1 / 34 भा0द0वि0	मनोज कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोतिहारी।	चंदन राउत एवं अन्य 26 अभियुक्त	अमृत प्रोजेक्ट, छतौनी।	ऋ	—	अनुसंधानान्तर्ग त।
27.	छतौनी (मोतिहारी)	88 / 13	02.05.13	420 / 467 / 468 / 47 1 / 34 भा0द0वि0	इन्द्रदेव राम, अंचलाधिकारी, बंजरिया, मोतिहारी।	नामजद एम0पी0 स्नेहाशीष जी एवं 04 अभियुक्त	एक्सेस व्यू, छतौनी।	—	—	अनुसंधानान्तर्ग त।
28.	खजौली	35 / 13	20.05.13	406 / 408 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120(बी)	पु0अ0नि0	1. जे0सी0एस0 एस0एस0एस0 लि0 के	ज्योति क्रेडिट	वादी पु0अ0नि0	—	अनुसंधानान्तर्ग त।

	(मधुबनी)			भा0द0वि0 एवं 76 चिट फंड एक्ट 1982 तथा 7(2) बिहार जमाकर्ता की हितों के संरक्षण अधिनियम 2002 नियमावली 2004	संजय कुमार, थानाध्यक्ष, खजौली।	मालिक विनोद कुमार दूबे, पे0- गोपीनाथ दूबे, सा0- बीबीगंज, जिला- मुजफ्फरपुर। 2. जे0सी0एस0 एस0एस0एस0 लि0 के शाखा प्रबंधक, संजीव कुमार, पे0 जय नारायण यादव, सा0-बेलही, थाना- जयनगर, जिला- मधुबनी। 3. शाखा कैशियर प्रियरंजन कुमार शाही, पे0-आनंद मोहन शाही, सा0 सूरजगंज, थाना-नगर, जिला- मधुबनी। 4. शाखा सहायक मनिन्द्र कुमार मिश्र, पे0-स्व0 अमरनाथ मिश्र, सा0 सुक्की, थाना-खजौली, जिला- मधुबनी। 5. शाखा आदेशपाल अमर सिंह, पे0 अशोक सिंह, सा0- इनरवा, थाना- खजौली, जिला- मधुबनी। अप्राथमिकी अभियुक्त 6. विनोद कुमार 7. राजेश कुमार 8. नमोनाथ झा 9. शैलेन्द्र ठाकुर 10. विजय पाठक जे0सी0एस0 एस0एस0एस0 लि0 खजौली।	एण्ड सेविंग स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड।	संजय कुमार-1 थानाध्यक्ष खजौली के स्वयं बयान के आधार पर जे0सी0एस0 एस0एस0एस0 लि0 के मालिक संजीव कुमार एवं अन्य 04 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अवैध एवं नाजायज तरीके से ननबैंकिंग संस्था चलाकर गरीब अनपढ़ ग्रामीणों को धोखा देकर षडयंत्र रच कर लोभ लालच दिखाकर रुपया जमा करवाने एवं उक्त पैसा को प्रधान कार्यालय में भेजकर बंदर वाट करने के आरोप में दर्ज किया गया है।		
29.	नगर (मधुबनी)	113 / 13	10.05.13	406 / 408 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120(बी0) भा0द0वि0 एवं 76 चिट फंड एक्ट एवं बिहार डिपॉजिटर	पु0अ0नि0 पृथ्वी नाथ मिश्रा, नगर थाना, मधुबनी।	1. भोला कुमार पे0- बाबुलाल सिंह, सा0- पुरखौली, थाना- लालगंज, जिला- वैशाली 2. बैंक मालिक महेश किशन मावेतार पिता-	समृद्ध जीवन फुड्स इंडिया लिमिटेड।	वादी स0अ0नि0 पृथ्वीनाथ मिश्रा नगर थाना के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर अभियुक्त भोला	-	अनुसंधानान्तर्गत।

				एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 7(ए)		किशन मावेतार, सा0-आडर्थ रोड, पूर्ण। 3. अभिषेक कुमार पिता-अनिल चन्द्र सिन्हा, सा0-पोखरा, मुहल्ला वार्ड नं0-17, थाना-नगर, जिला-वैशाली। 4. विनोद चौपाल पे0-अनिल पोद्दार, सा0+थाना-बथ, जिला-भागलपुर 5. शेर सिंह पंडित पे0-राम कुमार पंडित, सा0-सपता, थाना-रहिका 6. सुशील कुमार पे0-मदन नारायण राम, सा0-बारी टोल, भौआरा, थाना-नगर, सभी जिला-मधुबनी। 7. मैनेजर निरज कुमार राम, सा0-मस्तीक, थाना-भेल्दी, जिला-छपरा।		कुमार एवं अन्य 06 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध गलत तरीके से ननबैंकिंग संस्था चला कर गरीब एवं भोले-भाले लोगों को विश्वास में लेकर धोखा एवं षड़यंत्र रचकर रुपया जमा कराने के आरोप में दर्ज किया गया है।		
30.	नगर (मधुबनी)	114 / 1 3	13.05.13	406 / 408 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120(बी0) भा0द0वि0 एवं 76 चिट फंट एक्ट एवं बिहार डिपॉजिटर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 7(ए)	पु0अ0नि0 लक्ष्मण प्रसाद, नगर थाना, मधुबनी।	1. विनोद कुमार दूबे पे0-गोपीनाथ दूबे, सा0-बीबीगंज, जिला-मुजफ्फरपुर 2. शाखा प्रबंधक विजय कुमार साह, पे0-स्व0 महेन्द्र साह, सा0-भौआरा, वार्ड नं0-23, थाना-नगर 3. रौशन कुमार झा पिता-स्व0 कालीकांत झा, सा0-हरिहरपुर डीह, थाना-कलुआही, 4. कैशियर अनिल कुमार साह, सा0-बीच खाना, थाना-अरेर, 5. अवध किशोर झा, सा0-नवटोली, थाना-राजनगर, सभी जिला-मधुबनी।	जे0सी0एस0 एस0एस0एस0 लिमिटेड।	वादी लक्ष्मण प्रसाद पु0अ0नि0 नगर थाना के बयान के आधार पर प्रा0अभि0 विनोद कुमार दुबे एवं अन्य 04 नामजद के विरुद्ध नाजायज तरीके से नन बैंकिंग संस्था खोलकर लोगों का पैसा जमा कराने तथा जमा पैसा को आपस में बांट लेने के आरोप दर्ज कराया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्गत
31.	बखरी (बेगूसराय)	103 / 1 3	18.05.13	406 / 420 / 34 भा0द0वि0 एवं	पु0अ0नि0 नीरज कुमार,	1. मो0 जलालुद्दीन, पे0-अब्दुल खलीक,	साथी शिल्पा ओ वाणिज्य लिमिटेड एवं	अनुसंधान के क्रम में पाया गया है कि	1. कम्प्यूटर 2. कम्प्यूटर का	अनुसंधान जारी

	)			4/5/6 प्राईज चीट एण्ड मनी सर्कुलेशन स्क्रीम (बैनिंग) एक्ट 1978	थानाध्यक्ष, बखरी।	सा0-टिकारबेरिया, थाना-जलांगी, जिला-मुर्शीदाबाद (प0बंगाल) कम्पनी के सेट्टर। 2. प्रणव दास, पे0-चितस्वरूप दास, सा0+थाना- इस्लामपुर, जिला- मुर्शीदाबाद (प0बंगाल) 3. समीर शर्मा, पे0- ब्रजहरी शर्मा, सा0- शांतिनगर, थाना- भगतीनगर, जिला- जलपाईगुडडी (प0बंगाल) 4. मनोज कुमार यादव, पे0-नागेन्द्र यादव, ग्रामा-बसुआ, थाना-सिधिया, जिला- समस्तीपुर 5. अनीमस कुमार शाहा, पे0-अजीत कुमार शाहा, सा0- शांतिनगर, थाना- भगतीनगर, जिला- जलपाईगुडडी (प0बंगाल) 6. विनोद कुमार शर्मा, पे0-कपिलदेव शर्मा, सा0-गजपट्टी, थाना-हसनपुर, जिला-समस्तीपुर। 7. राजा राम सदा, पे0-रघुनन्दन सदा, 8. विजय कुमार यादव, पे0- रामावतार यादव, दोनों सा0-सोनिहार, थाना-अलौली, जिला-खगड़िया। 9. मुकेश कुमार कंचन (शाखा प्रबंधक), पे0- रामभरोसा तांती, सा0-पुरानी दुर्गास्थान, 10. मो0 मुन्तजीम अंसारी (कम्प्यूटर ऑपरेटर), पे0-मो0 मुस्तकीम, सा0- मक्खाचक, दोनों थाना-बखरी, जिला- बेगूसराय।	साथी शिल्पा क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड	उक्त कंपनी बखरी बाजार में चल रही थी जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। कारोबार के संबंध में न तो रिजर्व बैंक की अनुमति प्राप्त की गई और न ही जिला पदाधिकारी बेगूसराय को सूचित किया गया। कंपनी के साथ न तो मेमोरेन्डम है और न ही बैलेंस सीट है। उपभोक्ताओं द्वारा जाम राशि के निवेश के बारे में ऑफिस में कार्यरत किसी भी मेम्बर या कर्मचारी को जानकारी नहीं है। ट्रस्ट के संबंध में कोई भी वैद्य कागजात नहीं पाया गया है सिर्फ कमक वज्जिनेज की छायाप्रति उपलब्ध है। जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। इस कंपनी का जितना भी कारोबार होता था वह नेट के माध्यम से ही कंपनी के सर्वर एवं पासवार्ड के माध्यम से होता था। जैसे ही कंपनी पर छापा पड़ा वैसे ही सभी डाटा को नेट पर से हटा लिया गया। वर्तमान में नेट पर इस कंपनी से संबंधित कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है जिससे पाया गया	सामान 3. इंकपैड 4. कैश पेमेन्ट रजिस्टर एवं अन्य सामान।	
--	---	--	--	--	-------------------	--	-------------------------------------	---	---	--

								कि यह कंपनी एक चिट फंड कंपनी है।		
32.	मुफ्फसिल (धनौती), सिवान	148 / 13	10.04.13	420 / 406 / 120(बी0) / 34 भा0द0वि0	मोस्मात माया देवी, पति—स्व0 शेष नाथ सिंह, ग्राम—बनौर, थाना—मुफ्फसिल (धनौती), सिवान।	अभियुक्त 1. अलाउद्दीन अंसारी पे0 जान मो0 अंसारी सा0 पकड़ी मकरियार, धनई टोला, थाना धनौती 2. अशरूला अंसारी पे0 ईश मोहम्मद 3. हबीबुलाल अंसारी पे0 अजीज मियां 4. अली अहमद पे0 शमशुल हक 5. अब्बास अंसारी पे0 नूर आलम 6. ईश मोहम्मद पे0 बोलीजान मियां पॉचों सा0 भरथूई थाना धनौती सिवान 7. अनवर मियां बहनोई अशरुल्लाह अंसारी	श्री बी0आर0 एस0एम0प्रा0	यह काण्ड वादिनी मोस्मात माया देवी के लिखित आवेदन के आधार पर 07 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध 07 लाख रुपये जमा कराकर कंपनी बंद कर भाग जाने के आरोप में अंकित कराया गया है।	—	अनुसंधान अन्तर्गत।
33.	नगर (सीतामढ़ी)	417 / 13	16.05.13	406 / 420 / 467 / 468 / 471 / 434 / 477(ए0) भा0द0वि0	कौशल कुमार केहलानिया, पिता—छेदी प्रसाद केहलानिया, सा0—दिलीप ट्रेडिंग कम्पनी, लोहापट्टी, वार्ड नं0—10, सीतामढ़ी।	05 नामजद अभियुक्त।	बचत स्वालम्बी सहयोग समिति लिमिटेड।	—	—	अनुसंधानान्तर्गत।
34.	बनमनखी (पूर्णिमा)	64 / 13	05.05.13	406 / 420 / 467 / 468 भा0द0वि0	बेचन कुमार चौधरी पे0—हरि चौधरी, सा0—वार्ड नं0 4, चकला, बनमन्खी, थाना—	1. मो0 अताउल रहमान, शाखा प्रबंधक, 2. बीतिन बनर्जी (मालिक), सी0एम0डी0 तथा अन्य स्टॉफ।	प्रतिज्ञा हाउसिंग फिनांस एण्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड।	ऋ	—	अनुसंधानान्तर्गत।

					बनमन्खी, जिला-पूर्णियां					
35.	सदर (पूर्णियां)	527 / 1 3	01.12.13	406 / 420 / 467 / 46 8 भा0द0वि0	गणेश कु0 ठाकुर, पे0 स्व0 छोटेलाल ठाकुर सा0 मेहदीपुर, थाना सदर जिला पूर्णियाँ	1. मो0 लाल पे0 मो0 काजीम सा0 नीलबाड़ी कनवा बाजार 2. मो0 कौशल आजम, पे0 अंशूर रहमान सा0 चिमनीबाजार थाना सदर पूर्णियाँ 3. औबेदूर रहमान, पे0 तमीजुद्दीन रहमान सा0 बड़ा थाना ईटाहर जिला उत्तरी दिनाजपुर (प0 बंगाल) 4. मो0 नसीरुद्दीन सा0 कलीयाचक जिला मालदा (प0 बंगाल) 5. विश्वजीत बनर्जी पे0 अखिलेश कु0 बनर्जी सा0 बी-40 गौशाला न्यू स्कीन राजेंद्र पार्क, साउथ 24 परगना, कलकत्ता 6. मिथिलेश कु0 मंडल, पे0 चंदेश्वर मंडल, 7. राकेश मंडल दोनों सा0 वर्मा कॉलोनी तीनगछिया कटिहार	सिलबरसन इन्साफा स्ट्रक्चर लि0 एवं ईजी फ्यूचर एग्रो इंडिया लि0 कंपनी	यह कांड वादी ने प्राथ0 के सातों नामजद अभि0 के विरुद्ध सिलबरसन इन्साफा स्ट्रक्चर लि0 एवं ईजी फ्यूचर एग्रो इंडिया लि0 कंपनी चलाकर लोगों को ठगने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	—	अनुसंधान्तर्ग त
36.	नगर (नवादा)	245 / 1 3	11.05.13	409 / 420 भा0द0वि0 एवं 3 / 4 प्राईज चिट एण्ड मनी सर्कुलेशन (बैनिंग) स्कीम 1978		1. सुजीत कुमार, कम्पनी मालिक	इन्डस वेयर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड कम्पनी।	ॠ	—	

37.	नगर (आरा)	28 / 13	28.01.13	467 / 468 / 471 / 419 / 420 / 120(बी0) भा0द0वि0	सरोज कुमार चौबे, पे0—चन्द्र चौबे, सा0—गेरेया, थाना—शाहपुर, जिला—भोजपुर	1. स्नेहा श्रीवास्तव 2 जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इम्पेक्स।	यह कांड वादी द्वारा उल्लेखित अभियुक्त के विरुद्ध वादी एवं उनके परिजन के नाम पर एक लाख तीस हजार रुपये को फिक्स डिपोजिट करने एवं पैसा लेकर भाग जाने के आरोप में अंकित कराया गया है। पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन—2 में यह काण्ड सत्य पाया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त न्यायिक जमानत पर मुक्त है एवं अभियुक्त संख्या—2 के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है।	—	अनुसंधानान्तर्गत
38.	नवादा (आरा)	264 / 13	02.08.13	406 / 409 / 420 / 467 / 468 / 471 भा0द0वि0 एवं 68 कम्पनी एक्ट 1956	राम ईश्वर सिंह पे0—ब्रह्मदेव सिंह, सा0—शिवचक, थाना —सहार, जिला —भोजपुर	1. मनोज कुमार साह (बडव) 2. राधेश्याम झा (लड) 3. विमल झा (कपतमबजवत) 4. अभिजीत चटर्जी (कपतमबजवत) 5. गोपाल दलपति (डंदहपदह कपतमबजवत) 6. संजय कुमार दास (बैपतउंद) 7. संजीव कुमार	1. बीयर्ड इन्फ्रा रियल्टी इंडिया लिमिटेड। 2. बीयर्ड इंडस्ट्रीयल लिमिटेड, हेड ऑफिस, भाग्य लक्ष्मी बिल्डिंग, हावड़ा, जनता रोड, दासनगर, हावड़ा—711105 3. बीयर्ड	इस काण्ड का घटनास्थल कनकपुरी स्थित नाथ काम्पलेक्स बिल्डिंग स्थित है। यह काण्ड वादी के लिखित आवेदन के आधार पर बीयर्ड इन्फ्रा रियल्टी इंडिया लिमिटेड नामक नन बैंकिंग कंपनी खोलकर लोगों	—	कांड अनुसंधान अन्तर्गत है।

						(मुख्य कंपनी एजेंट) 8. अमित कुमार सिंह उर्फ वेद प्रकाश सिंह	इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि० हेड ऑफिस, 34 सी०/24 नवाब यूसूफ रोड, सिविल लाईन्स, इलाहाबाद।	का करोड़ों रुपया जमा कर फरार हो जाने के आरोप में प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराया गया है। उक्त कंपनी लोगों को फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग, एम०आई०एस० एवं 12 वर्ष में दस गुणा रकम करने का स्कीम चलाता था। मुख्य ऐजेंट 1.संजीव कुमार 2. अमित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उक्त कंपनी को विधिवत सील कर दिया गया है।		
39.	भेलदी (छपरा)	10 / 13	08.01.13	420 / 467 / 468 / 471 भा०द०वि०	प्रमोद कुमार सिंह, प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, नारायणपुर पिता—जनकदेव सिंह, ग्राम—प्रभुनाथनगर, थाना—मुफ्फसिल, जिला—सारण	1. अवधेश कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार सिंह, पे०—स्व० चन्द्रमा सिंह, सा०—जगरनाथपुर, थाना—भेलदी 2. अंजू कुमारी उर्फ अंजू उपाध्याय पति—राजेश उपाध्याय, सा०—कोठिया, थाना—अवतारनगर, दोनों जिला—सारण। 3. ऋतु राज सागर पे०—ललन प्रसाद	आई०भी०एम० डिभेन्चर पंजाब नेशनल बैंक ओपनिंग सौटली।	आई०भी०एम० डिभेन्चर पंजाब नेशनल बैंक ओपनिंग सौटली के नाम पर अम्बिका प्रसाद के मकान पर बैनर लगाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है। इस कांड को प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। अभियुक्त	—	अप्राथमिकी अभियुक्त 1. अवधेश कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार सिंह, 2. अंजू कुमारी उर्फ अंजू उपाध्याय, 3. ऋतुराज राज सागर, 4. राजेश कुमार उर्फ पप्पू की गिरफ्तारी

						सा0-सिधुवारी, थाना- सदर, जिला-वैशाली 4. राजेश कुमार उर्फ राकेश कुमार उर्फ पप्पु कम्पनी के डायरेक्टर 5. मनोज कुमार सिंह पे0 महेन्द्र सिंह सा0-बंसवली, थाना- कुढ़नी, जिला- मुजफ्फरपुर।		मनोज कुमार सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 21 / 14 दिनांक 30.03.14 समर्पित किया गया है।		हेतु लंबित।
40.	दरियापुर (छपरा)	03 / 13	05.01.13	420 / 467 / 468 / 12 0 (बी) भा0द0वि0	अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, छपरा पिता-स्व0 सतरंजन प्रसाद वर्मा, ग्राम- परमानन्दपुर डुमरा, जिला- सीतामढ़ी।	अज्ञात।	आई0भी0एम0 पंजाब नेशनल बैंक ओपनिंग सौटली।	यह कांड आई0भी0एम0 पंजाब नेशनल बैंक ओपनिंग सौटली के नाम पर अम्बिका प्रसाद के मकान पर बैनर लगाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है। कांड को अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया। अभी तक अभियुक्त का पता नहीं चल सका है।	—	अज्ञात अभियुक्त का पता करने हेतु लंबित।

41.	भेल्दी (छपरा)	131 / 1 3	26.07.13	406 / 420 / 467 / 46 8 / 471 / 120(बी) / 34 भा0द0वि0	मधुसुदन कुमार सिंह उर्फ राजु पे0—विरेन्द्र सिंह, ग्राम— मानपुर, थाना—भेल्दी, जिला—सारण	1. विजेन्द्र प्रकाश, एम0डी0, ईजीगेन मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड 2. देवन्दु प्रकाश, 3. अखिलेश कुमार सिंह	चिट फंड कम्पनी	यह कांड अभियुक्तों विरुद्ध एस0बी0आई0 का सी0एस0पी0 बाउण्ड खोलने एवं चार वर्ष में पैसा दुगना करने के आरोप में अंकित है। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध कांड सत्य पाया गया है। अभियुक्त विजेन्द्र प्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है।	—	प्राथमिकी अभियुक्त विजेन्द्र प्रकाश के विरुद्ध आराप पत्र सं0—137 / 13, दिनांक 15.12.13 समर्पित की गयी है। प्राथमिकी अभियुक्त देवन्दु प्रकाश एवं अखिलेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी हेतु लंबित है।
42.	मांझी (छपरा)	127 / 1 3	14.08.13	417 / 418 / 420 भा0द0वि0	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी।	गोल्ड माईन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (नन बैंकिंग कम्पनी, मांझी)	गोल्ड माईन इंडस्ट्रीज लि0, मांझी	जिला पदा0 के निर्देश पर वादी द्वारा जांच करने पर भा0रि0बैंक के अनुज्ञापित के बिना गोल्ड माईन इंडस्ट्रीज लि0 मांझी के आरोप में यह कांड दर्ज किया गया है। एक अभियुक्त के विरुद्ध कांड सत्य पाया गया है। अभियुक्त का नाम पता का सत्यापन अभी तक नहीं हो पाया है।	—	अभियुक्त के नाम पता का सत्यापन कर गिरफ्तारी हेतु लंबित है।

43.	कोतवाली (गया)	161 / 1 3	15.05.13	419 / 420 / 406 / 46 7 / 468 / 471 / 120(बी0) / 34 भा0द0वि0	मदन राम पिता—स्व0 हीरा राम, मु0—फेतहगंज, थाना— कोतवाली, जिला—गया।	1. मुकेश कुमार पे0— लक्ष्मण प्रसाद, मु0— अशोक नगर, थाना— रामपुर, 2. सुबोध कुमार पे0— दिनेश शर्मा, सा0 सोनाबिगहा, थाना— चंदौती। 3. मनीष कुमार पे0— विनोद प्रसाद, मु0— महारानी रोड, थाना— कोतवाली 4. रवि कुमार पे0— श्याम सुन्दर प्रसाद सा0—कैनारपट्टी, थाना—वजीरगंज, 5. अनुज कुमार पे0— नारायण मिश्रा, सा0— टेपा फेतहपुर, थाना— टिकारी 6. रविन्द्र राम पे0— स्व0 मानिक राम, मु0—नई गोदाम, थाना कोतवाली, सभी जिला गया।	फालकन इन्डस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड एवं विवइयोर गोला लिमिटेड।	—	—	अनुसंधानान्तर्ग त।
44.	धौरैया (बांका)	41 / 13	08.04.13	406 / 420 / 467 / 46 8 / 471 / 120(बी0) भा0द0वि0	महेन्द्र प्रसाद, अंचलाधिकारी, धौरैया, बांका।	1. अपना परिवार एग्रो लिमिटेड के मालिक 2. अंगद कुमार, इंचार्ज 3. रंजन कुमार गुप्ता, कम्प्यूटर ऑपरेटर 4. विमल कुमार, पे0—अर्जून पोद्दार 5. विनोद कुमार गुप्ता 6. ग्लोबल इंडिया लैंड डेवलप्मेंट लिमिटेड के मालिक एवं कार्यकर्ता 7. सुराहो माईक्रोफोन के मालिक एवं	अपना परिवार एग्रो लिमिटेड।	—	—	अनुसंधानान्तर्ग त।

						कार्यकर्ता 8. ग्लोबल लिमिटेड के मालिक, व्यस्थापक, कार्यकर्ता एवं अन्य 9. सन प्लांट एग्रो लिमिटेड के मालिक, व्यस्थापक, कार्यकर्ता एवं अन्य				
45.	अमरपुर (बांका)	78 / 13	07.04.13	420 / 406 / 467 / 468 / 471 / 120(बी0) भा0द0वि0	रमेश कुमार सिंह, अंचलाधिकारी, अमरपुर, बांका।	1. संजय कुमार सुमन 2. संतोष कुमार 3. गौतम दाता 4. कुणाल कुमार 5. विवित कुमार सिंह 6. विशेश्वर कुमार उर्फ कुमार गौरव	1. नन दैनी वेंचर लि0 2. प्रयाग इन्फोटेक हाईसाईज लि0 3. डेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि0	—	—	अनुसंधानान्तर्गत।
46.	अमरपुर (बांका)	114 / 13	11.05.13	406 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120(बी0) भा0द0वि0	रमेश कुमार सिंह, अंचलाधिकारी, अमरपुर, बांका।	1. मिथलेश कुमार सिंह 2. संजय सिंह	1. अपना परिवार एग्रो फॉर्मिंग डेवलप इंडिया लिमिटेड 2. एम0आर0एस0एच0 एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड	—	—	अनुसंधानान्तर्गत।
47.	कटोरिया (बांका)	81 / 13	13.05.13	406 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120(बी0) भा0द0वि0	निरंजन कुमार सिंह, अंचलाधिकारी, कटोरिया, बांका।	1. शाखा प्रबंधक, रैमल रीयल इस्टेट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 2. महेश दास, सा0—भैरोगंज, थाना—चान्दन, 3. बेलफर बिल्डिंग एण्ड इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, कोलकाता 4. इम्तियाज हुसैन 5. मल्ला विजय प्रसाद 6. माधुरी श्रीनिवास, रा0पे0सम0भी0 सुम्भा राव 7. रोज	रैमल रीयल इस्टेट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0	—	—	अनुसंधानान्तर्गत।

						बेली होटल एण्ड इन्टरटेनमेंट लि० 8. सुमन कुमार 9. अमित कुमार				
48.	अमरपुर (बांका)	115 / 1 3	11.05.13	420 / 406 / 467 / 46 8 / 471 / 120(बी०) भा०द०वि०	रमेश कुमार सिंह, अंचलाधिकारी, अमरपुर, बांका।	अजीत कुमार	रैमल इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	—	—	अनुसंधानान्तर्ग त।
49.	सदर (सहरसा)	128 / 1 3	15.03.13	406 / 420 / 34 भा०द०वि०	सुजीत कुमार पे०—जय किशुन साह, सा०—गांधी पथ, वार्ड नं०—8, थाना— सदर, जिला— सहरसा।	1. जितेन्द्र मिश्रा, प्रबंधक 2. अजय झा, जी०एम० 3. जागो प्रसाद मंडल, चेयरमैन 4. अनूज कुमार सिंह, ऋण प्रबंधक	द कोशी सेन्ट्रल को—ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड।	यह कांड वादी सुजीत कुमार के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध अंकित किया गया है। अभियुक्तों के झांसे में आकर इन्होंने खाता सं० 4964 खुलवाया एवं वर्ष 2011 एवं 2012 में प्रतिमाह रेकरिंग के रूप में कुल 30516 रुपया जमा किया। इन्होंने सिर्फ 7500 रुपये की निकासी किया एवं शेष रुपया सोसाईटी के लोगों ने हड़प लिया। इसके अतिरिक्त विपुल कुमार केसरी का खाता सं० 5681 में जमा किये गये राशि 5160 रुपये को हड़प लिया गया और भुगतान नहीं किया गया।	—	अनुसंधानान्तर्ग त।
50.	सिमरी बख्तियार पुर (सहरसा)	64 / 13	19.03.13	406 / 420 / 467 / 46 8 / 120(बी) / 34 भा०द०वि०	मो० फखरुद्दीन पे०— नसीमउद्दीनसा ० —सिमरी बख्तियारपुर, मस्जिद गली,	1. जितेन्द्र मिश्रा, प्रबंधक 2. अजय झा, जी०एम० 3. जागो प्रसाद मंडल, चेयरमैन 4. अनूज कुमार सिंह,	द कोशी सेन्ट्रल को—ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड।	यह कांड वादी मो० फखरुद्दीन के द्वारा प्रा०अभि० के विरुद्ध जालसाजी एवं रुपया ठगी कर लेने के आरोप में दर्ज किया	—	अनुसंधानान्तर्ग त।

					थाना— बख्तियारपुर, सहरसा।	ऋण प्रबंधक		गया।		
51.	लहेरिया सराय (दरभंगा)	367 / 1 3	22.08.13	406 / 420 / 467 / 46 8 / 471 / 120(बी) / 34 भा0द0वि0	पु0अ0नि0 राकेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, लहेरिया सराय।	1. मनोज कुमार चौड़ (सी0एम0डी0) 2. पंकज कुमार चौड़ (एम0डी0) 3. अशोक कुमार सिंह (जेनरल मैनेजर) 4. विवेकानन्द झा, 5. नीतेश कुमार झा, कैशियर 6. रमन कुमार वर्मा, असिसटेन्ट मैनुअल एवं अन्य।	विश्वमित्र इंडिया परिवार।	—	जब्ती—सूची के अनुसार।	अनुसंधानान्तर्ग त।
52.	फारबिसगं ज थाना	08 / 13	08.01.13	420 / 406 भा0द0वि0		1. दीपक कुमार पे0 प्रेम कु0 झा, सा0 आम गोला, पराव पोखर नं0—02, पो0 रकम, थाना काजी मोहम्मदपुर, जिला मुजफ्फरपुर एवं उसके अन्य संपादक के विरुद्ध	—	—	—	अनुसंधानान्तर्ग त।
53.	ततारपुर थाना, भागलपुर	563 / 1 3	4.10.13	406 / 409 / 420 / 46 7 / 468 / 120 बी भा0द0वि0	शैलेश कुमार पे0—निहालरं जन सिंह, सा0—मुरादपु र, थाना—रजौन, जिला—बांका	1. संतोष रूपकाले, पे0—विशनरूप काले, चेयरमैन सह मैनेजिंग डायरेक्टर, आस्था इन्टरनेशनल लिमिटेड, 2. चन्द्र सिंह चौहान, पिता—शिवाजी चौहान, मार्केटिंग डायरेक्टर, आस्था इन्टरनेशनल लि0, 3. कुन्ती मंडल पे0—सिकन्दर मंडल, सा0—सबदपुर, थाना—धौरैया, जिला—बांका, 4. शौकत गुप्ता पे0—स्व0 शंकर गुप्ता,	प्रधान प्रमोटर आस्था इन्टरनेशनल,	—	—	अनुसंधानान्तर्ग त।
54.	ईशाकचक , भागलपुर	07 / 13	19.02.13	420 / 406 भा0द0वि0	सुनीता कुमारी पति राकेश यादव,	1. मुकेश कुमार सिन्हा, 2. अजीत कुमार सिन्हा, 3. राजेश कुमार सिन्हा,	बिरला गोल्ड, ईशाकचक	—	—	अनुसंधानान्तर्ग त।

					सा0—गंगापुर, थाना—सुल्तान गंज जिला—भागल पुर	4. सुचीन्द्रा प्रसाद				
वर्ष 2014										
55.	बाढ़ (पटना)	105 / 1 4	26.03.14	406 / 420 / 120(बी) भा0 द0वि0	अरविंद कुमार दास पिता श्री बालमिकी रविदास सा0 पंचमहल्ला थाना पण्डारक जिला पटना	1. सी0डब्लु0बी0सी0 एल0 के एम0डी0 बब्लू कुमार शर्मा 2. डायरेक्टर जितेन्द्र कुमार 3. ब्रांच मैनेजर उदय कुमार 4. डी0ओ0 सिनियर सत्येन्द्र कुमार	सी0डब्लु0बी0सी0 एल0 कम्पनी लिमिटेड	यह कांड सी0डब्लु0बी0सी0 एल0 कम्पनी द्वारा जनता का 25 लाख रुपया धोखाधड़ी कर गबन कर लेने के आरोप में दर्ज किया गया है।		
56.	गौंधी मैदान पटना	408 / 1 4	18.11.14	420 / 467 / 468 / 40 6 / 471 / 120 बी भा0द0वि0 एवं 66 आई0टी0 एक्ट	पु0अ0नि0 राजेश कुमार, गौंधी मैदान थाना	प्राथ0 अभि0 1. डायरेक्टर/प्रमोटर आनंद गुरुवंत सिंह 2. तारलोचन सिंह 3. सुखदेव सिंह 4. निर्मल सिंह भोगू 5. कुरुनाम सिंह 6. उपल देवेंद्र कुमार 7. टाईगर योगेंद्र 8. गुरुमीत सिंह 9. सुब्रत भटाचार्य, एवं पी0एल0सी0एल0 शाखा के प्रबंधक एवं अन्य कर्मी	पी0ए0सी0एल0 इंडिया लि0	आ0अप0ई0 का झा0 5203/एन0बी0एफ0 सी0 एवं सेबी के पत्र सं0 जडवू त्त्रा50252014 दि0 26.09.14 के अलोक में च।स् स्जकण को दि0 22.08.14 को पारित आदेश के अनुसार कंपनी के आम जनता के विभिन्न योजनाओं के मद का निवेश किया गया जमा धन को तीन माह के अंदर वापस करने तथा त्वरित प्रभाव से धन संग्रह करना बंद करने के निर्देश के बाद भी उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी, जालसाजी, कुटरचना कर सूचना तकनीकी का दुरुपयोग कर ग्राहकों एवं आम जनता से धन संग्रह कर गबन करने के	रजिस्टर/दस्ता वेज सी0पी0यू0, जमापच्ची, डाटा सी0डी0, रिन्युवल रसीद इत्यादि।	अभियुक्तों को गिरफ्तार/ कूकी जब्ती करने एवं निर्देशों के अनुपालन हेतु अनुसंधान जारी।

								आरोप में यह कांड दर्ज किया गया है।		
57.	किशनगंज	08 / 14	04.01.14	420 / 406 / 120(बी) भा0द0वि0	रामानंद साह पे0 श्री झूलर साह, सा0 घोड़ामारा, था0+जिला—किशनगंज	1.प्राथों डे पे0 निर्भय डे,सा0—एच0ए0—197 साल्टलेक,कलकत्ता 2.तन्मय दास पे0 सरोज कुमार दास, सा0—13 लेक ईस्ट रोड नं0—4, कोलकत्ता 3. देवाशीष राय, पे0 दिलीप कु0 राय, सा0 37 बी—7, डेक लेन कोलकत्ता 4. जैन भट्टाचार्य पे0 संतोष भट्टाचार्य, सा0—01 / 27, सरसुना मेन रोड, कलकत्ता, 5. अमृता दत्ता पे0 जेहर दत्ता, सा0 228 / सी0, साउथ कोडला गेट नं0 07, कलकत्ता, 8. पल्लवी प्रकाश धौदे, सा0—05, बी0टी0 रोड, पानी हाटी, जिला परगना उत्तर, कलकत्ता 9. सायनी सरकार, पे0 निर्मल सरकार, सा0 सिरपारा, जिला 24 परगना, कलकत्ता 10. शोभा रानी सिंह, पे0 कार्तिक चंद्र सिंह, सा0 21 / 3 बनर्जी बगान लेन सालकिया, थाना बीसौपुर, जिला हावड़ा 11. मेघा सिंह गुप्ता, पे0 आशीथ रंजन सेन गुप्ता, सा0 740 लेख ग्राडेन, पो0 लस्करपुर, थाना डेक टाउन, कलकत्ता 12. अर्पिता राय, पे0 नारायणचंद्र राय, सा0 216 साउथ कोडालिया, न्यू बैरेकपुर ढोला शोदपुर, जिला 24	ववक चींतउंब बनजपबंसे स्जकण दक् ववक स्जकण	वादी के कोर्ट परिवाद सं0 1332—सी / 13 के आधार पर प्राथ0 के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध नन बैंकिंग कंपनी में षडयंत्र एवं धोखाधड़ी कर पैसा जमा कराने तथा पैसा गबन कर भाग जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्गत

						परगना 13.ज्योतिमय डे, पे0 स्व0 नृपेंद्रनाथ डे, सा0 71बी, एकडालिया रोड, कलकत्ता, 14. सुमित्रा डे, पे0 केशवचंद्र घोष, सा0-71 71बी, एकडालिया रोड, कलकत्ता, 15. कैमिला भटाचार्य, पे0 श्री जयंत भटाचार्य, सा0 जय गोपाल राय, चौधरी रोड, पो0 पानीहाटी, खदरा (पोगार हाउस), जिला 24 परगना कलकत्ता 16. कल्याण सेन, सा0-10 / 1 भारतीय रोड, बी-जोन दुर्गापुर-17 17. उज्ज्वल बक्सी, सा0 अमरावती ब्लॉक डी-22, पो0 पानीहाटी खरदा, जिला 24 परगना। 18. सुविर मुखर्जी, सा0ए0डी0-23 लेक डाउन, कलकत्ता 19. अंदिता डे, पे0 अमरेश मुखर्जी, सा0-71 बी, एकडालिया रोड, कलकत्ता 20. सौभिक घोष, पे0 श्रीवास घोस, सा0-24 / 2135 मडल पारा लेन, कलकत्ता 21. रूपक मित्रा (ब्रांच मैनेजर) पे0 बंकित मिश्रा, सा0 आयासबाग, जिला खुर्शिदाबाग 22. शिवशंकर डे, सा0+थाना दमदम, जिला 24 परगना, कलकत्ता				
58.	नगर कटिहार	407 / 14	13.07.14	406 / 420 भा0द0वि0	चंदन कु0 सिंह पे0 अनील प्र0 सिंह, सा0 बरुआरी, जिला	1. अमित कुमार पे0 श्री रामेश्वर प्र0 गुप्ता, सा0 बिनोदपुर, कालीबाड़ी, डॉ0 एन0के0झा के गली में, थाना नगर कटिहार 2. राजीव रंजन बिहारी पे0 नाथो	नन-बैंकिंग कंपनी	यह कांड वादी के आवेदन पत्र के आधार पर प्राथ0. अभियुक्तों के विरुद्ध धोखाधड़ी कर बाकी का	—	अनुसंधानान्तर्गत

					मुजफ्फरपुर, वर्त० कॉलोनी नं०-2, सन ऑफ क्लब के पीछे, थाना नगर, कटिहार	प्र० यादव सा० यादव टोला, कलसर हसनगंज, थाना डंडखोरा, जिला कटिहार 3. अप्राथ० अभि० शिवनारायण दास, सी०एम०डी०, पे० स्व० भूषण चंद्र दास, सा० धरसा मनसातल्ला पो० जी०आई०टी० कॉलोनी, हाबड़ा, वर्त० संतरा गाछी, कलकत्ता, 4. युगल किशोर गुप्ता, डायरेक्टर, पे० रामचंद्र गुप्ता, सा० मंडाई पारा, पो० घोषपारा, कस्टोपुर, कलकत्ता		अनठावन हजार रूपया गबन करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है।		
59.	नगर कटिहार	506 / 14	16.08.14	384 / 406 / 420 / 467 / 468 / 471 / 34 भा०द०वि	शुभंकर कु० मंडल, पे० शंकर प्र० मंडल सा० मरोचा बसतौल, थाना प्राणपुर, जिला कटिहार	1. संबीत बनर्जी पे० दीपतेन बनर्जी, 2. श्रेया बनर्जी पे० दीपतेन बनर्जी 3. रुमा बनर्जी, पे० दरिदय चटर्जी 4. दीपतेन बनर्जी, पे० स्व० जितेंद्र बनर्जी 5. सोमा बनर्जी पे० परिमल बनर्जी सभी सा० 25 बच्चाराम चटर्जी रोड, थाना भेला जिला कलकत्ता 6. सुनिता चेल्लवाहा पे० स्व० विश्वनाथ मुराक, 70 बी०ए० गौरीबारी लेन, कलकत्ता 7. पियश चेल्लहवा पे० प्रभात कु० चेल्लहवा सा० 70/3 एवं गौरीबारी भागलपुर मार्केटिंग डायरेक्टर बिहार झारखंड, प्रतिज्ञा हाउसिंग फिनान्स एण्ड कंसट्रल लि० कंपनी	प्रतिज्ञा हाउसिंग फिनान्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन लि० कंपनी	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद के आधार पर प्राथ० अभि० के विरुद्ध धोखाधड़ी कर आम जनता का करीब पन्द्रह करोड़ रूपया गबन करने लेने के आरोप में अंकित किया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्गत

60.	नगर कटिहार	507 / 1 4	16.08.14	409 / 420 / 120 बी भा0द0वि0	अमित कु0 गुप्ता पे0 रामेश्वर प्र0 गुप्ता सा0 बिनोदपुर, थाना नगर, जिला कटिहार	1. शिवनारायण दास पे0 भूषण चंद्र दास, एक्स चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर 2. युगल प्र0 गुप्ता पे0 रामचंद्र गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, 3. एम0एस0मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एम0एस0 सिलिकॉन प्रोजेक्ट इंडिया लि0, रजि0 ऑफिस 91/ए/2 एन0एस0सी0 बोस रोड, कलकत्ता 700040 (डब्लू0 बी0) 4. विश्वजीत बेरा पे0 प्रभात कु0 बेग डायरेक्टर ऑफ एम0एस0 सिलिकॉन प्रो0 इंडिया लि0 48 सास्तीतल्ला रोड सतरागाछी, थाना जगछी, हावड़ा-7111004 (डब्लू0 बी0) 5. तुसारजाना पे0 हरधन जाना पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर एम0एस0 सिलिकॉन प्रोजेक्ट इंडिया लि0 6. आशीष मित्रा पे0 गुरुदास मित्रा, डायरेक्टर सिलिकॉन प्रोजेक्ट एम0एस0 सिलिकॉन प्रो इंडिया लि0 7. विजोय मिश्रा, डायरेक्ट 8. देवाशीष देव, डायरेक्टर, पे0 स्व0 आर0के0 देव, 9. तजन साहु, डायरेक्टर, 10. पुरनेन्दु मल्लिक पे0 हरधन मल्लिक सा0 अधिलाग्रह, प0 बंगाल 11. अंत्रा मुखर्जी, पे0	एम0एस0 सिलिकॉन प्रोजेक्ट इंडिया लि0	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद के आधार पर प्राथ0 अभि0 के विरुद्ध धोखाधड़ी कर आम जनता का करीब पाँच करोड़ रुपया गबन करने के आरोप में अंकित किया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्ग त
-----	---------------	--------------	----------	--------------------------------	---	--	---	---	---	----------------------

						आलेक मुखर्जी, पूर्वापाड़ा दत्ता पुकुर-1, बरसात नार्थ 24 परगना, प0 बगाल 12. अफजल हुसैन, सिलिकॉन डिमेन्चर ट्रस्ट-6, मुजफ्फर स्ट्रीट कोलकत्ता				
61.	नगर कटिहार	787 / 1 4	14.12.14	406 / 420 / 467 / 46 8 / 471 भा0द0वि0	वादिनी चंद्रावती देवी पति विभूति ना0 पोदरा सा0 मोफरगंज अरगरा चौक, थाना नगर, कटिहार	1. रंजन कु0 बढई पे0 स्व0 रत्नेश्वर बढई सा0 सुभाष पल्ली 2. अमीक राय पे0 देवनाथ राय सा0 संतवना निकेतन आई0टी0सी0 कॉलोनी के सामने, एयर मियू काम्पलेक्स 3. हलीम पे0 अब्दुल रसीद सा0 बीबी ग्राम तीनो थाना इंगलिस बाजार 4. अभिजीत चटर्जी पे0 सरजीत चटर्जी सर्वमंगला पल्ली इंगलिस बाजार, थाना इंगलिश बाजार, 5. सैयद अनवर हुसैन पे0 सैयद अब्दुल कुदुस सा0 साहेब नगर, थाना मानिक चक 6. नवीन दास पे0 सत्य ना0 दास, सा0 सर्वमंगला पल्ली, थाना इंगलिश बाजार, 7. कमयल हक पे0 स्व0 लूकमान हक सा0 बालकठपुर, थाना रतुआ 8. अभिजीत घोष पे0 अमल कु0 घोष सा0 छतियन मोड़ थाना इंगलिश बाजार 9. अमि0 कु0 दास पे0 अनिल कु0 दास सा0 ऐहा सोनापाड़ा थाना हबीबपुर 10. अमित साह पे0 असित साहा, सा0 शालगामुल्ला थाना	नन-बैंकिंग कंपनी	यह कांड वादिनी के कोर्ट परिवाद के आधार पर प्राथ0 अभियुक्तों के विरुद्ध धोखाधड़ी कर वादिनी का 3,19,600 रु0 गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्ग त

						इंगलिश बाजार सभी जिला मालदह, पश्चिमी बंगाल ।				
62.	सहायक थाना, कटिहार	349 / 1 4	19.06.14	406 / 420 / 504 / 12 0बी / 34 भा0द0वि0	वादी महेश कु0 मित्तल पे0 स्व0 रामनारायण मित्तल सा0 मिरचाईबाड़ी, ऑफिसर्स कॉलोनी थाना सहायक, जिला कटिहार	1. देवकिशोर राम पे0 यदुवंशी राम, 2. रोशनी देवी उर्फ चंदा देवी पति देवकिशोर राम, बुधबाड़ी थाना मुफ्सिल जिला कटिहार 3. राज कु0 राम 4. अजीत कु0 राम दोनों पे0 बासदेव राम, सा0 हृदयगंज, शिवाजी कॉलोनी 5. अशोक भगत पे0 रघुनाथ भगत सा0 ऑफिसर्स कालोनी, नियर पोल फैक्ट्री सभी थाना सहायक जिला कटिहार	नन-बैंकिंग कंपनी	यह कांड वादी के आवेदन पत्र के आधार पर प्राथ0 अभियुक्तों के विरुद्ध फर्जी बैंक खोलकर वादी एवं अन्य लोगों को धोखाधड़ी कर रुपया गबन करने के आरोप में अंकित किया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्गत
63.	आजमनगर, कटिहार	225 / 1 4	24.09.14	406 / 420 / 467 / 46 8 / 34 भा0द0वि0	वादी अशोक कु0 राय पे0 अतुल चंद्र राय सा0 मरही चौलहर थाना आजमनगर, जिला कटिहार	1. रविशंकर महतो उर्फ रविशंकर ललन 2. राकेश महतो 3. रंधीर सिंह राणा तीनों पे0 दोमाई महतो 4. डोमाई महतो पे0 माधो महतो सभी दौलताबाद थाना आजमनगर, जि0 कटिहार	यूनाइटेड मेडिसीन एवं सर्जिकल इन्डस्ट्री लि0	यह कांड वादी के आवेदन के आधार पर प्राथ0 अभियुक्तों के विरुद्ध वादी के बेटा को कंपनी में मैनेजर बनाने एवं राशि जमा करने एवं भुगतान की गारंटी का प्रलोभन देकर एवं विश्वास में लेकर आम जनता से लाखों रुपया कंपनी में जमा कराया एवं अवधि पूरा होने पर रुपया वापस करने से इंकार कर तथा कंपनी को बंद कर अमानत में ख्यानत करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्गत
64.	आजमनगर	282 / 1	05.12.14	402 / 406 / 506 / 43	वादी अब्दुल	1. मो0 एजाज पे0 मास्टर अब्दुल रसीद	प्रतिज्ञा हाउसिंग	यह कांड वादी के	—	अनुसंधानान्तर्गत

	र (सालमारी) कटिहार	4		7 / 468 / 471 भा0द0वि0	लतीफ पे0 स्व0 शरफुद्दीन सा0 जादेपुर थाना बलिया बेलोन, जिला कटिहार	सा0 सनकतरा, थाना बलिया बेलोन, जि0 कटिहार	कंपनी लि0	लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ0 अभि0 के विरुद्ध कंपनी का एजेंट कहकर आम जनता से बारह प्रतिशत ब्याज देने का प्रलोभन देकर 30-35 लोगों से पसा जमा कराया। मैचुरिटी होने पर पैसा वापस करने से इंकार कर दिया तथा पासबुक ले लेने एवं कंपनी के भाग जाने के आरोप में दर्ज किया गया है।		
65.	बलिया (बेगूसराय)	49 / 14	11.02.14	467 / 468 / 471 / 40 6 / 420 / 120(बी) भा0द0वि0	टुनटुल कुमार पे0-बालेश्वर सिंह, सा0- मानसी, जागृति टोला, थाना-मानसी, खगड़िया।	1. मो0 जहाँगीर पे0-मरहुम सलीम, सा0-मठाही, थाना+ जिला-मधेपुरा 2. अनुज शर्मा पे0-जवाहर शर्मा, सा0-अमृता, थाना- पतरघट, जिला- सहरसा।	स्टारमेकर एजुकेशनल एवं डेवलपमेंट ट्रस्ट	अभियुक्तगण एक योजना एवं साजिश के तहत स्टारमेकर एजुकेशनल एवं डेवलपमेंट ट्रस्ट के नाम से बलिया में ऑफिस खोलते हुए लोगों के बीच प्रचार प्रसार कर वादी एवं अन्य लोगों को स्टाफ के रूप में रखा गया एवं लोन देने के नाम पर धोखा धड़ी एवं ठगी करते हुए लोगों का रुपये भाग गये।	—	अनुसंधान जारी
66.	बसंतपुर, सिवान	330 / 1 4	07.11.14	467 / 468 / 471 / 47 2 / 406 / 420 / 120 बी / 323 / 504 / 506 भा0द0वि0	अशरफ अहमद पे0 मो0 नशरुल्लाह सा0 मंझवलिया, थाना मढौडा, सारण,	1. मो0 नूर आलम पे0 मो0 इलियास, कोर्ड नं0 20-4961 एजेंट, शारदा ग्रुप ऑफ कंपनी कोर्ड 64, सेक्टर बीयर शारजी, कलकत्ता, स्थाई पता ग्राम	शारदा ग्रुप ऑफ कंपनी	यह कांड प्राथ0 अभियुक्तों के विरुद्ध 51,350 रुपये ठग लेने तथा मांगने पर गाली गलौज देने एवं जान से मार देने के आरोप में	—	अनुसंधान्तर्गत

					वर्तमान सा0 मदारपुर, थाना बसंतपुर, सिवान	लखनौरा थाना बसंतपुर जिला सिवान 2. सुदीप्तो सेन, एम0डी0 शारदा ग्रुप ऑफ कंपनी, 64 सेक्सपीयर सारजी कलकत्ता-17		अंकित कराया गया है।		
67.	बसंतपुर, सिवान	331 / 14	07.11.14	406 / 420 / 465 / 467 / 468 / 471 / 34 भा0द0वि	जय किशुन राय, सा0 सीपर, थाना बसंतपुर, जिला सिवान	1. नवल किशोर प्रसाद पे0 देवनाथ प्रसाद 2. मीरा देवी पति नवल किशोर प्रसाद 3. देवनाथ प्रसाद पे0 स्व0 हरि नारायण सभी सा0 बड़का गाँव भेड़ियारी थाना भगवानपुर, जिला सिवान	नेशनल सर्विशेज नाम का संस्था	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद पत्र सं0 2539 / 14 के आधार पर प्राथ0 के तीन नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध जालसाजी कर धोखे में रखकर रुपये ठगने तथा उन रुपये का गबन करने के आरोप में अंकित किया गया है।	—	अनुसंधान्तर्गत
68.	बसंतपुर, सिवान	332 / 14	07.11.14	420 / 406 / 465 / 467 / 468 / 471 / 34 भा0द0वि0	सुरेंद्र प्रसाद पे0 चंद्रमा प्रसाद सा0 सिधौली थाना बसंतपुर, जिला सिवान	1. नवल किशोर प्रसाद पे0 देवनाथ प्रसाद 2. मीरा देवी पति नवल किशोर प्रसाद 3. देवनाथ प्रसाद पे0 स्व0 हरि नारायण सभी सा0 बड़का गाँव भेड़ियारी थाना भगवानपुर, जिला सिवान	नेशनल सर्विशेज नाम का संस्था	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद पत्र सं0 2446 / 14 के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध जालसाजी कर धोखे में रखकर रुपये ठगने तथा उन रुपये का गबन करने के आरोप में अंकित किया गया है।	—	अनुसंधान्तर्गत
69.	बसंतपुर, सिवान	333 / 14	07.11.14	406 / 420 / 465 / 467 / 468 / 471 / 34 भा0द0वि0	रामविलास महतो पे0 स्व0 सर्वजीत महतो सा0 सानी बगही, थाना बसंतपुर, जिला सिवान	1. नवल किशोर प्रसाद पे0 देवनाथ प्रसाद 2. मीरा देवी पति नवल किशोर प्रसाद 3. देवनाथ प्रसाद पे0 स्व0 हरि नारायण सभी सा0 बड़का गाँव	नेशनल सर्विशेज नाम का संस्था	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद पत्र सं0 2516 / 14 के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध जालसाजी कर धोखे में रखकर रुपये ठगने तथा	—	अनुसंधान्तर्गत

						भेड़ियारी थाना भगवानपुर, जिला सिवान		उन रुपये का गबन करने के आरोप में अंकित किया गया है।		
70.	नगर थाना, सिवान	485 / 1 4	18.11.14	467 / 468 / 419 / 42 0 / 406 / 120 बी भा0द0वि0	धर्मनाथ बैठा, अंचलाधिकारी सिवान सदर, पे0 अंकित नहीं सा0 अंकित नहीं	1. रितुराज रंजन पे0 हरिशंकर झा सा0 शुक्लाटोली थाना नगर, सिवान 2. संतोष कु0 सिंह पे0 नित्यानंद सिंह 3. राजीव रंजन पे0 श्याम 4. मैनेजर दिनेश कु0 उपाध्याय पे0 जी0बी0 उपाध्याय जि0 गया 5. नफीज इमरान, दरबार सिवान 6. दीपक कुमार पे0 विश्वनाथ गिरी सा0 दक्षिण टोला 7. रोहित कु0 पासवान पे0 योगेंद्र पासवान 8. सुमीत कुमार पे0 बलराम प्र0 गुप्ता सा0 मौलेश्वरी चौक सिवान 9. कुमार अभिमन्यू पे0 श्याम कुमार कर्ण सा0 भोजपडोर थाना विसकी, मधुबनी 10. सुशील कुमार पे0 विन्देश्वरी राय थाना चकडोहरी बलिगाँव, वैशाली 11. प्रियंका कुमारी पति गुप्तेश्वर पांडेय सा0 मैरवा सिवान 12. श्यामनंदन मिश्रा पे0 एल0एन0मिश्र, रघुनाथपुर, सिवान 13. अच्छेवर तिवारी पे0 राजेंद्र तिवारी सा0 दरौली, सिवान 14. रंजीत कु0 पांडेय पे0 सुरेश पांडेय सा0 पवनी हसनपुरा, लालगंज वैशाली 15. श्रीआनंद 16. गुरुवंश सिंह 17. तारलोचन सिंह 18. सुखदेव सिंह 19. निर्मल सिंह भ्रगू 20. गुरुनाथ सिंह 21. उज्जवल देवेंद्र कुर 22. टाईगर योगेंद्र 23. गुरुभीत सिंह 24. सुब्रत भटाचार्य सभी (कम सं0 15 से 24 तक)	च।ब्स प्दकपं स्जकण	यह कांड वादी के लिखित आवेदन के आधार पर पी0ए0 सी0एल0 इंडिया लि0 कंपनी के कर्मचारी एवं सदस्यगण के विरुद्ध जालसाजी कर धोखा करने की नियत से सेवी के आदेशों का जानबूझ कर उल्लंघन करने के आरोप में अंकित किया गया ।	..	अनुसंधान्तर्गत

						पी0एच0सी0एल0, इंडिया लि0, निदेशक मंडल के सदस्य तथा सभी प्रधान कार्यालय, गोपालदास भवन, सातवां तल्ला बारमचम्भा रोड, कनौड पैलेस, नई दिल्ली ।				
71.	के0 हाट (पूर्णियाँ)	01 / 14	01.01.14	420 / 406 / 467 / 468 471 भा0द0वि0	मो0 शमीम अनवर पे0 मो0 सज्जाद अली सा0 मोहददीनपुर चिमनी बाजार थाना सदर पूर्णियाँ	1. मो0 हबीब आलम पे0 शेख अलाउदीन 2. मो0 शमीम पे0 शेख अलाउदीन 3. शेख अलाउदीन पे0 स्व0 कलीमुद्दीन सा0 जोका जलमरई थाना सदर, जिला पूर्णियाँ 4. ओवनी दास उर्फ ओबोनी चंद्र रविदास पे0 नरेशचंद रविदास 5. निखितचंद्र रविदास पे0 नरेश रविदास दोनों सा0 दरगाहा टोला थाना सदर पूर्णियाँ 6. गोराचंद पांडेय पे0 धीरज पांडेय सा0 रामबाग थाना सदर जिला पूर्णियाँ	ग्रेट ओवरसीट कोमोडीयल लि0	यह कांड वादी शमीम अनवर द्वारा प्राथ0 के छः नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध ग्रेट ओवरसीट कोमोडीयल लि0 कंपनी चलाकर लोगों को ठगने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	—	अनुसंधान्तर्गत
72.	सदर (पूर्णियाँ)	67 / 14	02.02.14	406 / 420 भा0द0वि0	सुशील कुमार राम पे0 जोगेन्द्र राम सा0 रामबाग थाना सदर, जिला पूर्णियाँ	1. अकबर अली पे0 अब्दुल रसीद सा0 अर्जुना पो0 मोलीयार 2. अजीर रहमान पे0 अब्दुल रउफ सा0 राघोपुर पे0 मोलीयार 3. अब्दुल कलाम आजाद पे0 ईलियास मास्टर सा0 राघोपुर सभी थाना हरिशचंदर पुर, प0बंगाल।	साईन इंडिया	यह कांड वादी सुशील कुमार के द्वारा प्राथ0 के 03 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध साईन इंडिया नामक जाली कंपनी खोलकर पैसा गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	—	अनुसंधान्तर्गत
73.	सदर मुफ़्स्सिल (पूर्णियाँ)	541 / 14	28.10.14	420 / 467 / 468 / 471 / 409 / 120 (बी) भा0द0वि0	आशुतोष झा, अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ	1. विवेक कु0 पे0 ललन दास, सा0 रूई गोला, थाना मुफ़्स्सिल 2. उमाकांत मंडल पे0 गुरु प्र0 मंडल सा0 लालगंज, थाना के0 हाट मरंगा 3. ब्रांच	विश्वमित्र इंडिया परिवार	यह कांड वादी आशुतोष झा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ0 नामजद अभि0 के विरुद्ध	—	अनुसंधान्तर्गत

						मैनेजर एस0के0 परासन 4. एरिया मैनेजर मनिष कु0 मणी पे0 सच्चिदानंद झा, सा0 मौफिक टोला, थाना के0हाट, 5. रिजनल मैनेजर शाजिद खॉन पे0 मो0 मोतीली खॉ सा0 महबूब खॉ टोला थाना सहायक खजांची, 6. डिवीजनल मैनेजर, संजय कु0 पांडेय, पे0 लालबाबू पांडेय, सा0 रामनगर, 7. पूर्व रिजनल मैनेजर हिटलर कु0 सिंह, पे0 रामानंद प्र0 सिंह, सा0 रामनगर, थाना के0हाट मरंगा, जिला पूर्णियाँ, अप्राथ0 अभि0 8. विपिन कु0 झा पे0 देवेन्द्र झा सा0 भटठा, थाना के0हाट, पूर्णियाँ 9. कंपनी के मालिक एवं 10 कंपनी के डायरेक्टर		विश्वमित्र इंडिया परिवार के नाम पर एक चिट फड कंपनी खोलकर पैसा गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है।		
74.	के0हाट (पूर्णियाँ)	926 / 1 4	17.11.14	406 / 420 / 467 / 46 8 / 471 / 109 / 120 बी / 34 भा0द0वि0 एवं धारा 3 बिहार डिपोजिट एक्ट 2002 एवं 66 आई0टी0एक्ट		1. डायरेक्ट / प्रमोटर आनंद गुरुवंत सिंह 2. तारलोचन सिंह 3. सुखदेव सिंह 4. निर्मल सिंह भोगी 5. कुरुनाम सिंह 6. उत्पल देवेंद्र कुमार 7. टाईगर योगेंद्र 8. गुरुमित सिंह 9. सुब्रह भटाचार्य एवं पी0ए0 सी0एल0 शाखा के प्रबंधक एवं अन्य कर्मि	पी0ए0सी0एल0 कंपनी	वादी के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथ0 अभि0 द्वारा साजिश के तहत गैर कानूनी ढंग से कार्यालय खोलकर आम जनता से धन जमा कराकर अमानत में ख्यानत करने के आरोप में अंकित किया गया है।	विधिवत तलाशी के कम में रजिस्टर, दस्तावेज, सी0पी0यू0, जमा पर्ची, डाटा सी0डी0, रिनुवल रसीद इत्यादि।	अनुसंधानन्त र्गत
75.	बिहियां (भोजपुर)	167 / 1 4	08.07.14	409 / 419 / 420 / 46 7 / 468 / 471 भा0द0वि0 एवं 68 कंपनी एक्ट 1956	पु0अ0नि0 बिमलेश कुमार पासवान,	1. विजय कुमार मिश्रा 2. मुकेश कुमार मिश्र, दोनों पिता लखराज मिश्रा, सा0+था0—	साईन इंडिया एग्री इंडस्ट्रीज लि0 एवं विश्वामित्र इंडिया इन्फ्रां लि0	यह कांड वादी के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी के	दोनों कंपनी के कार्यालय से पैसा जमा करने से संबंधित	कांड अनुसंधान अन्तर्गत है।

					थानाध्यक्ष बिहियां थाना (भोजपुर)	करनामेपुर, जिला-भोजपुर वर्तमान कार्यरत साईन इंडिया एग्रो इंडस्ट्रीज लि0 कटेया रोड बिहियां 3. रविन्द्र शर्मा पिता कुंवर शर्मा सा0 मझवारी एवं 4. राजकुमार पाल पे0 रामछबीला पाल, सा0 धनहीं, थाना-सिमरी, जिला-बक्सर, वर्तमान कार्यरत विश्वामित्र इंडिया इन्फ्रा लि0मेन रोड बिहियां, भोजपुर		नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध नन बैंकिंग कंपनी का कार्यालय खोलकर लोगों को प्रलोभन देकर, गुमराह कर एवं धोखाधड़ी कर पैसा जमा करने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है।	कागजात बरामद किया गया।	
76.	कोइलवर (भोजपुर)	178 / 1 4	09.10.14	341 / 323 / 420 / 40 6 / 120(बी) / 467 / 4 68 / 471 / 34 भा0द0वि0 एवं 38 कंपनी एक्ट,1956	दिनेश शुक्ला पिता स्व0 रामायण शुक्ला, ग्राम+पो0-बै ज बरहिया, थाना- बंसतपुर, जिला-सिवान	1. पूनम कुमारी पति राजेन्द्र पाण्डेय, सा0 एच0आई0जी0 हाउसिंग सेक्टर-7, ब्लौक-8, प्लॉट नं0-38, अगमकुंआ, पटना-26 2. बरेन्द्र पाण्डेय 3. रवि प्रकाश पाण्डेय 4. हरेन्द्र पाण्डेय 5. राजेन्द्र पाण्डेय पे0 स्व0 शिवपूजन पाण्डेय सा0-नाथ बिगहा, थाना-गोरारी, जिला-रोहतास 6. रामनगीना राम पिता शोभनाथ राम, ग्राम-बथनी, थाना-मोहनियां, जिला-कैमूर 7. चुनमून पाण्डेय पिता राजेन्द्र पाण्डेय सा0 नाथबिगहा, थाना-गोरारी, जिला-रोहतास 8. कृष्णा उर्फ डेमा राम पे0 जगदीश राम, सा0 बक्सरा, थाना-करगहर, जिला- रोहतास 9. धर्मवीर राम पिता स्व0 जगदीश राम, सा0 जगदीशपुर, थाना	पाटलिपुत्र कन्सल्टेंट लि0 कंपनी, कुल्हड़िया।	यह कांड वादी के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कंपनियों द्वारा टॉवर पर गार्ड में नौकरी लगाने के लिए 50 हजार रुपये एवं किसी भी कंपनी का टॉवर लगाने के लिए एक लाख रुपये लेकर वादी का टॉवर नहीं लगाने एवं नौकरी नहीं लगाने के आरोप में अंकित किया गया है।	—	कांड अनुसंधान अन्तर्गत है।

						कुदरा, जिला-कैमूर 10. छोटू मिश्रा पिता स्व० शिवकैलाश मिश्रा, सा० मिश्रबलिया, थाना-पवना, जिला-भोजपुर				
77.	अमनौर (छपरा)	16 / 14	13.02.14	420 / 467 / 468 / 40 6 / 120(बी) / 34 भा०द०वि०	वशिष्ठ नारायण सिंह, पे०-स्व० हरिद्वार सिंह, सा० -पहाड़पुर, थाना- अमनौर, जिला - सारण।	1. अम्बिका राय (एजेंट), सा० तरवार, थाना भेलदी, छपरा 2. उपेन्द्र सिंह, सा० जाफरपुर 3. पंकज कुमार पायलट (डायरेक्टर) पे० सुनील कुमार उर्फ शत्रुघ्न राय, सा० शेखपुरा पैगा 4. विवेक राय, सा० सलखुआ 5. नूर आलम हुसैन पे० इमामुद्दीन अंसारी, सा० शेखपुरा, पकड़ी सभी अमनौर जिला सारण।	नन बैंकिंग कम्पनी।	यह कांड धोखा धड़ो एवं जाल साजी कर वादी का 75 हजार रुपया लेकर भाग जाने के संबंध में दर्ज किया गया है। कांड के पांचो नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया। सभी अभियुक्त फरार है।	—	पांचों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लंबित है।
78.	छपरा नगर	351 / 1 4	22.11.14	406 / 420 / 467 / 46 8 भा०द०वि०	बिनोद आनंद, प्रखंड विकास पदा०, सदर छपरा	पी०ए०सी०एल० इंडिया लि०, नन-बैंकिंग शाखा प्रबंधक एवं अन्य कर्मि, सारण छपरा	पी०ए०सी०एल० इंडिया लि०	धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर रामबाबू राय को करीब बीस लाख रुपये एवं अन्य ग्राहकों का रुपया हड़प लेने तथा कंपनी बंद कर भाग जाने के आरोप में अंकित किया गया है।	—	गिरफ्तारी हेतु
79.	सहरसा सदर	143 / 1 4	08.03.14	406 / 420 / 34 भा०द०वि०	वादी मनोज कुमार पिता स्व० सुबालाल साह सा० हाथी टोला	1. ट्रस्ट के प्रबंधक अनोज शर्मा 2. मनोज शर्मा 3. उनके परिवार के सहयोगी कर्मि व	स्टार मेकर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट	यह कांड वादी मनोज कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध गरीब	—	अनुसंधान्तर्ग त

					बार्ड नं० 8 गांधी पथ सहरसा थाना व जिला सरहसा	परिवार के सदस्य स्थाई पता चंदा टूकिज रोड भिरखी वार्ड नं० 21 थाना व जिला मधेपुरा वर्तमान पता सहरसा स्थित गांधी पथ उपेन्द्र साह के मकान थाना व जिला सहरसा।		लोगों को आर्थिक सहायता, ऋण देने का प्रलोभन देकर अग्रिम 10 प्रतिशत राशि जमा कराकर ऋण नहीं देने व जाम किये गये राशि का धोखाधड़ी रकर लेने के आरोप में दर्ज कराया गया।		
80.	अररिया नगर थाना	97 / 14	04.03.14	406 / 411 / 418 / 42 0 / 421 / 424 / 465 / 468 / 201 / 204 / 12 0 बी भा०द०वि०		1. रियाजुल पे० मो० अजहर हुसैन 2. पंकज कुमार पे० ग्रेस नंदन 3. हनीलाल साह पे० पोलाई साह 4. उमाशंकर, पे० सूर्य ना० साह 5. प्रवीण गुरुदेव, पे० शिवशरण लाल 6. मो० रिजवान अहमद पे० करीम 7. सहरियार खॉ उर्फ नवाब आलम, पे० मो० फैयाज 8. मो० सुफीयान पे० करीम	—	—	—	अनुसंधानान्तर्ग त।
81.	फारबिसगं ज थाना	330 / 1 4	13.07.14	406 / 420 / 468 / 37 9 भा०द०वि०		1. दीप्तीन बनर्जी, 2. समीत बनर्जी 3. शोभा बनर्जी 4. अजय कु० मंडल 5. शंभू शर्मा 6. बप्पा दीप्तो 7. विकास कु० द्विवेदी 8. नीतिश कुमार 9. सुनील कु० सिंह 10. बप्पा दीप्तो मुखर्जी 11. मोहन कु० झा		यह कांड प्राथ० के सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्ग त
82.	फारबिसगं ज सिमराहा	684 / 1 4	11.10.14	406 / 419 / 34 भा०द०वि०		1. राजू साह पे० महावीर साह सा० औराही पूरब 2. डॉ० अफजल हुसैन पता	—	—	—	अनुसंधानान्तर्ग त

	थाना					अंकित नहीं				
83.	अररिया थाना	753 / 1 4	16.10.14	419 / 420 / 467 / 46 8 / 120 बी / 34 भा0द0वि0		1. अनुज कु0 मंडल (कंपनी के प्रबंधक) पे0 स्व0 गणेश चंद्र मंडल, सा0 मिरचाईबाड़ी, जिला कटिहार एवं अन्य अज्ञात कंपनी के सहयोगी	—	—	—	अनुसंधानान्तर्ग त
84.	वैशाली नगर थाना	990 / 1 4	13.11.14	406 / 420 / 467 / 46 8 / 120 बी भा0द0वि0	मुन्ना कुमार पे0 धीरेंद्र राय, सा0 बकारी, थाना राजापाकड़, जिला वैशाली	1. शाहजहाँ खॉ, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर 2. शमशुल आलम खॉ, डायरेक्टर 3. रामकृष्ण मोडल, डायरेक्टर 4. प्रवीर हलधर, डायरेक्टर 5. रतन कुमार, डायरेक्टर 6. अजय कु0 श्रीवास्तव, डायरेक्टर 7. सलीम लक्सर, डायरेक्टर 8. लुकमान अंसारी, डायरेक्टर 9. चंदन चौधरी, डायरेक्टर 10. सताजमाल खॉ, डायरेक्टर 11. लक्ष्मीकांत ज्ञान, डायरेक्टर 12. चंदन कुमार, रिजनल मैनेजर 13. विकास कु0 सिंह, डेभलपमेंटर ऑफिसर 14. लालबाबू यादव, वर्त0 डायरेक्टर 15. संतोष कुमार, कैशियर 16. महफूज आलम, मैनेजर 17. मनिष कुमार, मैनेजर 18. राजप्रवेश राय, मैनेजर	कोलकत्ता वायर इन्डस्ट्रीज	—	—	अनुसंधानान्तर्ग त
85.	वैशाली नगर थाना	1000 / 1 4	17.01.14	467 / 468 / 471 / 42 0 / 120बी भा0द0वि0	मो0 जफर आलम, वरीय उप समाहर्ता, वैशाली	1. शुभाष ठाकुर 2. कुमार कामता नंद 3. शाहिद अनवर 4. रंजीत कुमार 5. शमप्रीस पियूष 6. आनंद गुरुवंत सिंह, निदेशक 7. तारा लोचन सिंह 8. सुखदेव सिंह 9. निर्मल सिंह भागु 10. गुरुनाम सिंह 11. उपल देवेंद्र कुमार 12. टाईगर योगेंद्र	पी0ए0सी0एल0 इंडिया लिमिटेड	यह कांड षडयंत्र के तहत सभी अभियुक्तों के द्वारा सेबी के आदेशों का उल्लंघन कर ग्राहकों से अवैध रूप से धनराशि प्राप्त करने के	—	अनुसंधानान्तर्ग त

						13. गुरुमित सिंह 14. सुब्रत भटाचार्य सभी पता प्रधान कार्यालय, गोपालदास भगवान, सातवां तल्ला, 12 खंभा, कनाड पैलेस, नई दिल्ली		आरोप में दर्ज किया गया है।		
86.	बक्सर नगर थाना	529 / 14	20.11.14	406 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120 बी0 भा0द0वि एवं 66 आई0 एमेंडमेंट एक्ट	पु0अ0नि0 उदय बहादुर, नगर थाना	1. सुखदेव सिंह, प्रबंध निदेशक, 2. गुरुमीत सिंह, निदेशक 3. ज्योति ना0, सी0जी0 एम0 ऑपरेशन 4. डी0के0 शर्मा, जी0 एम0 5. एम0आर घयासी, जी0एम0, सी0 एच0आर0 6. एस0 त्रिपाठी, जी0एम0 ऑपरेशन 7. एम0के0 घोर, कंपनी सिक्रेटरी 8. अरूण कु0 गोयल, ए0जी0एम0 9. अंबुज गुप्ता, ए0जी0एम0 10. ए0जी0 अग्रवाल, सीनियर मैनेजर, 11. ए0बी0 अग्रवाल, सीनियर मैनेजर 12. संदीप बंगा, सीनियर मैनेजर 13. सीमा सिंघल, सीनियर मैनेजर 14. आशुतोष कुमार, सचिव ग्राहक सेवा 15. पी0ए0सी0एल0 लि0 शाखा बक्सर प्रबंधक 16. पी0ए0सी0एल0 इंडिया लि0 बक्सर के अन्य कर्मचारीगण 17. पी0ए0सी0एल0 इंडिया के सभी एजेंट	पी0ए0सी0एल0 इंडिया लिमिटेड	यह कांड नन बैंकिंग कंपनी पी0ए0सी0एल0 कंपनी के कर्मियों द्वारा खाताधारकों का पैसा बिना भुगतान किये हुए भाग जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्गत
87.	अरियारी (शेखपुरा)	129 / 14	24.09.14	419 / 420 / 406 भा0द0वि0	बिनोद कु0 सिन्हा, पे0 स्व0 मथुरा प्र0, सा0	प्राणि0 अभि0 1. सलाउदीन उर्फ गुड्डू सा0 अहियापुर, 2. ईरफान मोहम्मद, सा0 एकसारी 3. सी0एम0डी	पासलिन इन्डस्ट्रीज	यह कांड वादी द्वारा प्राथ0 अभि0 के विरुद्ध अवैध नन बैंकिंग कंपनी	—	अनुसंधानान्तर्गत

					नवीनगर ककरार, थाना अरियरी जिला शेखपुरा	मोजफ्फर ईमाम, मौर्या लोक, सेकन्ड फ्लोर 19, 4. डायरेक्टर शहनवाज आलम सा0 फुलवारीशरीफ, पटना 5. ए0आर0एम0 लाल बहादुरशास्त्री, बिहार शरीफ हेड ऑफिस, 6. निरंजन, बिहारशरीफ हेड ऑफिस 7. बनारस ऑफिस के डायरेक्टर कलीम साहेब 8. दिलीप कु0 यादव सा0 अंकित नहीं।		खोलकर धोखाधड़ी करने के आरोप में अंकित किया गया है।		
88.	जमालपुर थाना, मुंगेर	18 / 14	12.02.14	420 / 406 / 465 / 46 7 468 / 471 भा0द0वि0	गौरांग झा पे0 सुरेंद्र झा, सा0 मानिक चौक, थाना रुनीसैदपुर जिला सीतामढ़ी, वर्त0 स्टेट हेड समृद्धि जीवन मल्टी स्टेट, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर	1. सुरेंद्र कु0 सुमन, ब्रांच मैनेजर, समृद्धि जीवन मल्टी स्टेट, मल्टी परपस कौपरेशन सुसाईटी लि0 ब्रांच, बड़ी दरियापुर मुंगेर स्थाई पता— पे0 रघुनंदन प्र0 यादव, ग्राम महासीमार, थाना किशनपुर, जिला सुपौल, मु0 कालीनगर टी0 गार्डन, नामकूम रौंची, झारखंड	समृद्धि जीवन मल्टी स्टेट, मल्टी परपस कॉपोरेशन सोसाईटी लि0	यह कांड कोर्ट परिवाद के आधार पर प्राथ0 अभि0 द्वारा कंपनी का लगभग 85,000 रुपये का जालसाजी कर गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्ग त
89.	कोतवाली, मुंगेर	322 / 1 4	24.11.14	406 / 420 / 467 / 46 8 / 471 / 323 / 504 भा0द0वि0	1. अभिनव कुमार पे0 स्व0 रामझानी वर्मा, सा0 सदर बाजार, जमालपुर, मुंगेर	1. विमलव कुमार, पे0 स्व0 रंजीत कु0 देव 2. जुरिका देवी उर्फ जुरिका धौस पति विपलव कु0 देवी 3. चंदन सिंह पे0 स्व0 शांति सिन्हा सा0 अंबा टॉवर, प्रथम तल्ला, स्टौल गेट सरायकेला, थाना+जिला धनबाद, झारखंड 4. जितेंद्र कुमार पे0 स्व0 महेंद्र प्रसाद सा0+थाना	इरित बिहार, मिच्चल बेनीफिट लि0	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद के अधार पर अभि0 के विरुद्ध अमानत में ख्यानत कराने के आरोप में अंकित कराया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्ग त

						कजरा, जिला लखीसराय				
90.	सिविल लाईन थाना, जिला गया	344 / 1 4	14.06.14	467 / 468 / 471 / 42 0 / 120 बी / 34 भा0द0वि0	सुनय कुमार पे0 दानी साव सा0 कोईरी बिगहा, थाना परैया जिला गया	1 ^ण बडए ठपचसंअ ज्ञनउंत कमलए ^ध रंजम तंदरपज ज्ञनउंत कमलए ।ज.ज्ञसांचनत ^{लंत} चं देवस ;कौपदद्व क्पेज. उंतकींउं 2 ^ण क्पतमबजवत बेंदकंद पदीं तलए ^ध रंजम दजप ^{पदीं} तल चंतींउं थसंज.9 ^ध 12 कीनतपं मैज त्वक जवसांज.78ए 3 ^ण नतमौ डींजव ^ध पदकतंसंस डींजव ।जण. क्ट ^६ ब्वसवदल बेंदतंचनतं चैपउ चंससलए क्पेज.ठवांतव — 4 ^ण श्रनजीपां लीवी चंज छव.62ए छवतजी चंहंद ^{ली} चं 01 देवस ;मेजद्वए उंतकींउं	एभर लाईट रियल, इन्फ्राटैक्चर लि0 कंपनी जिसका वर्तमान नाम ईरील विहार मैचूअल बेनेफिट इंडिया लि0	नन—बैंकिंग कंपनी के द्वारा ग्राहकों का पैसा अपने बैंक में जमा कराकर हड़पने की नियुक्त से ग्राहक के साथ धोखाधड़ी कर नन बैंकिंग कंपनी को बंद कर फिरार हो जाने के आरोप में अंकित किया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्ग त
91.	कोतवाली थाना, गया	460 / 1 4	23.04.14	406 / 409 / 420 भा0द0वि0	सुनिता कुमारी पति तेजस्वी कुमार सा0 गुरुद्वारा रोड, एन लेन, थाना कोतवाली, जिला गया	1. दिपांकर डे पे0 ज्योति लाल डे सा0 बौकाडाहा, थाना विष्णुपुर बौकुडा (प0बंगाल) 2. टिन्कु कुमार दास पे0 राजेंद्र कु0 दास सा0 फ्लैट नं0 332, ब्लॉक—9 म्यू जी0पी0, थाना संतरा गौछी, कोलकत्ता 3. अभिक हाजरा पे0 अशीष हाजरा, सा0 बाईसी सरंगा बौकुडा, 4. गोपाल हाजरा पे0 पाभूषण हाजरा सा0 बारा गदरा, सरंगा कटरा, बौकुरा 5. हिमादरी बैंग पे0 जलाधर बैंग सा0 पुरुषोत्तम पश्चिम पाड़ा, सिंगुर हुगली 6.	छमू संदक ।हतव पदकनेजतपमे स्जकण पता—13, 13ए तल चटर्जी इंटरनेशनल पार्क, स्ट्रीट, कोलकत्ता	छमू संदक ।हतव पदकनेजतपमे स्जकण (नन बैंकिंग) कंपनी में निवेशकों एवं अभिकर्त्ताओं के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में अंकित किया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्ग त

						कार्तिक चरण पे0 भोलानाथ चरण सा0 मौजा छोटा बौकाडौका, जे0एल0एन0 नं0-48 (8) बौकाड़ाहा, विष्णुपुर बौकुडा 7. कौशिक राय पे0 अजीत राय मौजा झरवानी पश्चिम जे0एल0 नं0-489 अमलागोरे गारबेटा पश्चिमी मदिनापुर 8. अभिषेक सिंह पे0 विजय शंकर सिंह सा0 16/1 हाल लेन 03 तल, बी0एल0बी0 फ्लैट नं0 302, नियर हावड़ा, जिस्ट्रक जेल, विजय केबुल हावड़ा				
92.	कोतवाली थाना, गया	601 / 1 4	11.11.14	406 / 420 भा0द0वि0	आशिष प्र0 गुप्ता पे0 कृष्ण प्र0 गुप्ता मु0 मारनपुर, थाना सिविल लाईन (विष्णुपथ) जिला गया	1. प्रवीण कुमार बैंक मैनेजर, 2. सुधीर कुमार, सीनियर एजेंट 3. शोभा कुमार, एजेंट 4. अरुण कुमार, बैंक कर्मि 5. बिगन प्रसाद, बैंक कर्मि 6. गुड्डू शर्मा, बैंक कर्मि	मपतक पदतिंजतनबजनतमे व्यतचवतंजपवदए स्व्क्ए ।ककण.च्जीा व्यउचसमग च्जीा चतंतउ ब्यसवदलए च्. ।उइमकावत न्दपअमतेपजल तपींतमपसल त्वंक स्नीांदनए न्च	वादी के साथ धोखाधड़ी कर रुपया ठगने के आरोप में अंकित किया गया है।	1. डेबेन्चर सट्रिफिकेट 2. ब्याज का बाउचर	अनुसंधान्तर्ग त
93.	मोजाहिद पुर भागलपुर	164 / 1 4	12.12.14	धारा-420 / 406 / 120 बी0 भा0द0वि0	पप्पु पंडित, पे0-वासुदेव पंडित, सा0-रामनगर कॉलोनी, कुतबगंज, थाना-बबरगं ज, जिला-भागल पुर	1.सी0एम0डी0 बासुदेव बागची, 2. सपना बागची, 3. मार्केटिंग डायरेक्टर लक्ष्मीकान्त मिश्रा	प्रयाग इन्फोटेक हाईराईज लि0	—	—	अनुसंधान्तर्ग त
वर्ष 2015										
94.	बख्तियार	04 / 15	07.01.15	419 / 420 / 467 / 46	पु0अ0नि0,	1. मो0 कमलेश सोनी	स्मार्ट ग्रो लाईफ	नन-बैंकिंग कंपनी	—	अनुसंधान्तर्ग त

	पुर (पटना)			8/471/120 बी/34 भा0द0वि0	अजय कुमार, अख्तियारपुर थाना	2. रूपेश पांडेय दोनों सूरत निवासी गुजरात 3. राजकुमार पांडेय 4. देवेश पांडेय	सोल्युशन नन-बैंकिंग कंपनी	द्वारा जनता को कंपनी का आई0डी0 देकर पैसा गबन करने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है।		
95.	जमालपुर थाना, मुंगेर	23/15	24.02.15	420/467/468/471 /406/409/307/34 भा0द0वि0	महादेव प्रसाद तांती पे0 स्व0 महावीर मिस्त्री सा0 बड़ी आशिकपुर, थाना इस्ट कॉलोनी, जिला मुंगेर	1. अभिनव कुमार पे0 छोटेला तांती सा0 छोटी आशिकपुर, जमालपुर 2. ललन रजक, अभिकर्ता, कोड नं0-एन0आर0के0- 109866 पे0 स्व0 मोतीलाल रजक, सा0 बड़ी आशिकपुर, थाना इस्ट कॉलोनी, दोनों जिला मुंगेर 3. अजय कु0 अंजनी, शाखा प्रबंधक, रेलम इंडस्ट्रीज लि0 4. मनीष वर्मा, रेलम इंडस्ट्रीज लि0 बैंक जमालपुर शाखा एवं दो-तीन अज्ञात।	रेलम इंडस्ट्रीज लि0	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद के आधार पर अभि0 द्वारा वादी को प्रलोभन देकर कुल 18 हजार रुपये किस्त के हिसाब से जमा किया गया एवं गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्ग त
96.	कोतवाली, मुंगेर	62/15	13.03.15	420/406/504/34 भा0द0वि0	राधेश्याम साह पे0 स्व0 बोधन साह, सा0 गुलजार पोखर, थाना कोतवाली, मुंगेर	1. दिनेश कुमार, पे0 बैजनाथ साह 2. शिव नंदन कुमार पे0 बैजनाथ साव 3. बैजनाथ साव पे0 बालो साह सभी सा0 सुभाष नगर, थाना कोतवाली, जिला मुंगेर	प्रयाग इन्सेटेक हाई-राईज लि0	यह कांड अभि0 द्वारा षडयंत्र कर वादी से 53 हजार रुपये अमानत में ख्यानत करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	—	अनुसंधानान्तर्ग त
97.	बारसोई, कटिहार	09/15	19.01.15	420/467/468/471 भा0द0वि0	राकेश रंजन, पे0 रत्नेश्वर प्रसाद सा0 जहानवी नगर, थाना सुल्तानपुर, जिला कटिहार, वर्त0 सांख्यिकी पर्यवेक्षक बारसोई, कटिहार	1. मो0 इस्तियाक अंसारी पे0 मो0 जलील अंसारी, सा0 नियामतपुर थाना बारसोई, जिला कटिहार अप्राथ0 अभि0 2. विश्वकर्मा मंडल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, ग्राम बारसोई, रघुनाथपुर 3. विपिन कु0 सिंह, पे0 अमर	विश्वामित्र इंडिया	यह कांड वादी के लिखित आवेदन के आधार प्राथ0 अभि0 के विरुद्ध अवैध तरीके से कंपनी खोलकर लोगों का पैसा जमा कराने तथा जमा कराने से संबंधित कागजात पासबुक रजिस्टर,	—	अनुसंधानान्तर्ग त

						सिंह, सा0 कचना दोनों थाना बारसोई, जिला कटिहार		आलमीरा जब्त होने के आरोप में दर्ज किया गया है।		
98.	कोतवाली थाना, गया	171/1 5	09.05.15	406/420 भा0द0वि0	अनिल कुमार पे0 हीरा प्रसाद दांगी मु0 बैतरणी तालाबा, थाना विष्णुपद जिला गया	1. प्रवीण कुमार बैंक मैनेजर, 2. सुधीर कुमार, सीनियर एजेंट 3. शोभा कुमार, एजेंट 4. अरुण कुमार, बैंक कर्मि 5. बिगन प्रसाद, बैंक कर्मि 6. गुड्डू शर्मा, बैंक कर्मि	मपतक पदतिजतनबजनतमे वतचवतंजपवदए स्वए ।ककण.चंजी वउचसमग चंजी चतंतउ वसवदलए च ।उइमकावत न्दपअमतेपजल तपीतमपसल त्वंक स्नींदनए न्च	वादी के साथ धोखाधड़ी कर रुपया ठगने के आरोप में अंकित किया गया है।	1. डेबेन्चर सट्रिफिकेट 2. ब्याज का बाउचर	अनुसंधान्तर्गत
99.	कोतवाली थाना, गया	172/1 5	09.05.15	406/420 भा0द0वि0	द्वारिका राम पे0 स्व0 राधेराम मु0 विष्णुपुरी, कॉलोनी बंगाली आश्रम, थाना विष्णुपद, जिला गया	1. प्रवीण कुमार बैंक मैनेजर, 2. सुधीर कुमार, सीनियर एजेंट 3. शोभा कुमार, एजेंट 4. अरुण कुमार, बैंक कर्मि 5. बिगन प्रसाद, बैंक कर्मि 6. गुड्डू शर्मा, बैंक कर्मि	मपतक पदतिजतनबजनतमे वतचवतंजपवदए स्वए ।ककण.चंजी वउचसमग चंजी चतंतउ वसवदलए च ।उइमकावत न्दपअमतेपजल तपीतमपसल त्वंक स्नींदनए न्च	वादी के साथ धोखाधड़ी कर रुपया ठगने के आरोप में अंकित किया गया है।	1. डेबेन्चर सट्रिफिकेट 2. ब्याज का बाउचर	अनुसंधान्तर्गत
100.	आदमपुर थाना , भागलपुर	45/15	18.01.15	धारा-420/406/409 /467/468/471 भा0द0वि0	ममता कुमारी, पे0-सिंगेश्वर प्रसाद साह, सा0-फुन्टीटो ला, थाना-नाथनग र	1. मैनेजर प्रवेश, 2. इन्चार्ज मैनेजर संजीव, 3. ब्रांच इंचार्ज गोपाल पाण्डेय 4. कंपनी मालिक मो0 आसीफ खान, 5. मोकरम खॉ, 6. रामगोपाल पाण्डेय, 7. मो0 शमीम 8. ज्योतिशि झा, 9. सनसाईन ग्लोबल एग्रो लि0 के डायरेक्टर मो0 आसिफ खान 10. रजिया खातुन एवं अन्य कर्मियों।	सनसाईन ग्लोबल एग्रो लि0	—	—	अनुसंधान्तर्गत

प्रपत्र—८

क०सं०	कांड सं०	नन-बैंकिंग / वित्तीय स्थापना का नाम	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण का फलाफल (अपराध शैली, विनियामक प्राधिकार का मत/आदि)	साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं	गिरफ्तारी	आरोप पत्र समर्पित किए जाने की स्थिति	आरोप पत्र लंबित रहने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वर्ष 2011								
1.	बारसोई (कटिहार) थाना कांड सं०-242/11 दि० 02.12.11 धारा 406/ 420 भा०द०वि०	ग्रामीण कृषि सुरक्षा बैंक।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 में कांड को प्राथमिकी की मूल धारा के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. सहेबा खातुन पति-स्व० जलील, सा०- मल्लिकपुर, 2. मो० कैसर आलम, पे०- सर्फउद्दीन, सा०- नौरंगा, दोनों थाना- आजमनगर (सालमारी), जिला- कटिहार। 3. मो० रबिउल पे०-जाबिर		1. सहेबा खातुन पति-स्व० जलील, सा०-मल्लिकपुर , 2. मो० कैसर आलम, पे०-सर्फउद्दीन , सा०-नारंगा, दोनों	आरोप पत्र संभावित है।	एक अभियुक्त मो० रजीउल की गिरफ्तारी हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत।

[illegible]

5.	मोकामा (पटना) थाना कांड सं0-84/13 दि0 28.04.13 धारा 406/409/419/ 420/467/ 468/471/120 (बी0)/34 भा0द0वि0	1. एक्टिव ग्रुप ऑफ कम्पनी। 2. प्रयाग ग्रुप कम्पनी। 3. टपइहलवत ।ससपमक पदतिजतनबजनतम सपउपजमक	पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान से सभी 32 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। इस काण्ड में 09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शेष बचे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।	तीनों नन बैंकिंग कंपनी से कुल 506080/- रुपये तथा अन्य अभिलेख बरामद किया गया है।	1.जय कुमार,ब्रांच मैनेजर एवं 08 अन्य	—	अन्य बिन्दुओं पर जांच एवं शेष अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु लंबित है।	अनुसंधानान्तर्गत।
6.	गाँधी मैदान (पटना) थाना कांड सं0-151/13 दि0 29.04.13 धारा 408/409/420/ 467/468/470/ 471/120(बी0)/34 भा0द0वि0	प्रयाग ग्रुप ऑफ कम्पनी।	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह बात प्रकाश में आई है कि एकजीविशन रोड स्थित शांति रेसिडेंसी के तृतीय तल्ला अवस्थित प्रयाग ग्रुप कम्पनी के कार्यालय में अभियुक्तों द्वारा व्यवसाय से हटकर उसी के आड में अभिकर्ताओं के माध्यम से कम समय में रुपया जमा कराकर दुगना किये जाने की बात भोली भाली जनता को बता कर फर्जी तरीके से पैसा जमा कराया जाता था तथा बॉण्ड जारी किया जाता था।	विधिवत तलाशी के क्रम में रुपया, कम्पनी से संबंधित अभिलेख/क ग जात आदि को जप्त किया गया।	1. धर्मेन्द्र कुमार 2. देवकांत 3. दीपक कुमार श्रीवास्तव 4. राजकिशोर पंडित	आरोप पत्र सं0 194/13 दिनांक 26.07.13 समर्पित किया गया।	शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान जारी है।	प्राथमिकी के शेष बचे अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तारी/कुर्की जप्ती की कार्रवाई करने एवं अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधान एवं निर्देशों का पालन करने हेतु
7.	बाढ़ (पटना) थाना कांड सं0-89/13 दि0 28.04.13 धारा 406/409/419/ 420/467/468/ 471/120(बी0)/34 भा0द0वि0	1-एंगिल 1-एग्रिटेक ग्रुप ऑफ कम्पनीज, 2-आईकोर ई-सर्विसेज लिमिटेड 3-एराईज भूमि डेवलपर्स मिलिटेड, एच0डी0एफ0 सी0 बैंक के उपरी तल्ल	पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान से इस काण्ड में सभी प्राथमिकी के 14 नामजद एवं 35 अप्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।	सभी कंपनियों से 435690/- रुपये एवं अन्य अभिलेख बरामद किया गया है।	—	—	शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी/कुर्की- जब्ती हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
8.	बाढ़ (पटना) थाना कांड सं0-99/13 दि0 03.05. 13 धारा 406/ 409/419 /420/467/471/120	पियर्स एलार्ड कॉरपोरेशन।	पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान से सभी 04 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। इस काण्ड में चारों	—	जमानत-04	—	इस काण्ड से संबंधित एजेंटों के विरुद्ध जांच हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।

	(बी0) / 34 भा0द0वि0		अभियुक्त जमानत पर मुक्त है। एजेंटों के विरुद्ध जांच की जा रही है।					
9.	बख्तियारपुर (पटना) थाना कांड सं0-81 / 13 दि0 27.04.13 धारा 420 / 467 / 468 / 406 / 409 / 120(बी0) भा0द0वि0	चक्र गुप ऑफ लाईफ साईकिल	पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान से सभी 11 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। इस काण्ड में दो अभियुक्त को गिरफ्तार जेल भेजा गया ह तथा 06 अभियुक्त को जमानत पर मुक्त है। शेष बचे अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।	छापामारी के क्रम में नगद 54,790 रूपया एवं अन्य संबंधित अभिलेख बरामद किया गया है।	1.शशि कुमार 2. अन्नंत पाण्डेय, जमानत- 06 अभियुक्त	—	अन्य बिन्दुओं पर जांच एवं शेष अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत।
10.	खुसरूपुर (पटना) थाना कांड सं0-41 / 13 दि0 03.06.13, धारा 408 / 409 / 467 / 468 / 471 / 120(बी 0) भा0द0वि0	कलकता बियर इंडस्ट्रीज लि0	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 से यह कांड अभियुक्त 1. शहजादा खान, 2. समसुल अली खान, 3. रामकृष्ण मंडल, 4. चंदन यादव, 5. सुधीर कुमार, 6. रणविजय कुमार के विरुद्ध सत्य पाया गया।	उक्त कंपनी के अधिकृत होने के संबंध में आर0बी0आई 0एवं सेबी पटना से पता किया गया तो अधिकृत नहीं रहने की बात बतायी गयी है।	1. सुधीर कुमार 2. रणविजय कुमार	आरोप पत्र सं0-54 / 13, दिनांक 31.07. 2013 समर्पित किया गया है।	अन्य बिन्दुओं पर जांच एवं शेष 04 अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत।
11.	मनेर (पटना) थाना कांड सं0-154 / 13 दि0 30.04.13 धारा 406 / 409 / 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120(बी0) / 34 भा0द0वि0	धनौती डेवलपर्स लिमिटेड	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 से यह काण्ड प्राथमिकी दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया। यह कंपनी बिना अनुज्ञप्ति के साजिश के तहत धोखाधड़ी कर रूपया ठगने का काम करता था।	धनौती डेवलपर्स लिमिटेड फर्म के मोहर लगा जाली कागजात एवं पासबुक बनाता था जिसका समर्थन पर्यवेक्षण के दौरान साक्षियों के द्वारा किया	—	—	दोनों प्राथमिकी अभियुक्तों का नाम एवं पता का सत्यापन करना।	अनुसंधानान्तर्गत।

				गया।				
12.	मनेर (पटना) थाना कांड सं0-155/13 दि0 30.04.13 धारा 406/409/419/420/467/468/471/120 (बी0)/34 भा0द0वि0	इन्फास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन वेयर्ड।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 से यह काण्ड प्राथमिकी के नामजद एक अभियुक्त एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया है। यह कंपनी बिना अनुज्ञप्ति के साजिश के तहत धोखाधड़ी कर रुपया ठगने का काम करता था।	घटनास्थल से एक फ्रेम लगा हुआ पंजिकरण संबंधी प्रमाण पत्र इन्फास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन एवं मोहर तथा अन्य सामान जब्त किया गया।	—	—	अभियुक्तों का नाम एवं पता का सत्यापन करना।	अनुसंधानान्तर्गत।
13.	मसौढ़ी (पटना) थाना कांड सं0-146/13 दि0 30.04.13 धारा 420/467/468/469/471/406/409/120(बी0)/34 भा0द0वि0	1. बीयर्ड इन्फास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड 2. विश्वमित्र इंडिया परिवार 3. इन्डस बीयर इंडस्ट्रीज 4. पनेसिया इंटरनेशनल कम्पनी 5. प्रयाग गुप कम्पनी	पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान से इस काण्ड में सभी प्राथमिकी के 13 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। इस काण्ड में 05 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। 01 अभियुक्त न्यायालय से रोक लगायी गयी है। शेष अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।	सभी कंपनियों से 16340/- रुपये एवं अन्य अभिलेख बरामद किया गया है।	05 अभियुक्त गिरफ्तार। 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी पर न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी है।	आरोप-पत्र सं0-185/13, दिनांक 28.06.2013 समर्पित किया गया है।	अन्य बिन्दुओं पर जांच एवं शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लंबित है।	अनुसंधानान्तर्गत।
14.	गर्दनीबाग (पटना) थाना कांड सं0-141/13 दि0 02.05.13 धारा 408/409/420/467/468/120(बी0) भा0द0वि0	रोज वैली होटल एंड इन्टरटेनमेंट लि0, अनीशाबाद, पटना।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 से यह काण्ड 06 अप्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया एवं 05 प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध जांचोपरांत निर्णय लिया जाना उचित पाया गया। यह कंपनी बिना अनुज्ञप्ति के साजिश के तहत धोखाधड़ी कर फिक्स डिपोजिट एवं रेकरिंग के नाम पर पैसा लेने एवं बैंक के नियम के विरुद्ध पैसा	भुक्तभोगियों का बयान लिया गया और चिट फंड के कार्यालय के कर्मियों के द्वारा बयान दिया गया है।	—	—	अभियुक्तों का नाम एवं पता का सत्यापन करना।	अनुसंधानान्तर्गत।

			ठगने का काम करता था।					
15.	बारसोई (कटिहार) थाना कांड सं०-59/13 दि० 08.05.13 धारा 406/ 420/467/34 भा०द०वि०	1. इनफिटी रियल कॉन लि० 2. प्रयास प्रोजेक्ट इंडिया लि० 3. पोली एग्रीकल्टीभेशन	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 में कांड को प्राथमिकी की मूल धारा के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मो० मुब्बसीर पे०- फैयाज, सा०- मानवन, थाना- बारसोई 2. दिल मोहन कुमार पे०- कालाचन्द्र यादव, 3. अनिल कुमार पे०-कालाचन्द्र यादव दोनों सा०-देवगाँव, थाना-आजमनगर, जिला-कटिहार 4. अब्दुल क्यूम पे०- रूस्तम अली, सा०-भगवानपुर, थाना-हरिशचन्द्रपुर, जिला-मालदा (पं० बंगाल) 5. कैजर विश्वास पे०-राकिब विश्वास, सा०-3 अभिगी हारमोनी 1 ग्रीन बुड सोनाता श्राची न्यू टाउन राजरहाट, कोलकाता -700157 (पं० बंगाल) 6. जियाउर रहमान पे० अली मोहम्मद उमर, सा०- नयनदंगा, पो० बल्ला, थाना- सगरदिग्धी, जिला- मुर्सीदाबाद- 742237 पं०बंगाल 7. अजीजुर रहमान पे०-नजीरुद्दीन शेख, सा०- बगनपाडा, पो०- बल्ला, थाना- सगरदिग्धी, जिला- मुर्सीदाबाद (पं० बंगाल) तथा पॉली एग्रीकल्टीभेशन इंडिया लिमिटेड कार्यालय का पता सहारा वहरा, पो०-		1. मो० मुब्बसीर पे०-फैयाज, सा०- मानवन, थाना- बारसोई 2. दिल मोहन कुमार पे०- कालाचन्द्र यादव, 3. अनिल कुमार पे०-कालाचन्द्र यादव दोनों सा०- देवगाँव, थाना- आजमनगर, जिला-कटिहार 4. अब्दुल क्यूम पे०- रूस्तम अली, सा०-भगवानपुर, थाना-हरिशचन्द्र पुर, जिला-मालदा (पं० बंगाल)	—	अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत।

			तलग्रामहाट, मालदा —732125 के निदेशक मंडल के सदस्यों एवं 8. इनफिनटी रियल कॉस्ट्रक्शन लिमिटेड कार्यालय पता—176 ए0जे0सी0 बोस रोड, प्रथम द्वितीय चतुर्थ तल्ला, कोलकाता—700014 के निदेशक मंडल के सदस्यों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।					
16.	वीरपुर (सुपौल) थाना कांड सं0—117 / 13 दि0 06.05.13 धारा 419 / 420 / 409 / 467 / 468 / 471 / 120(बी) / 34 भा0द0वि0 एवं 68 / 58 (ए) कम्पनी एक्ट एवं 58(बी)(९)(८)(८८) आर0बी0आई0 एक्ट, 1934	प्रतिज्ञा हाउसिंग फाईनैस एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, शाखा—वीरपुर।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन—2 के अनुसार प्रा0 नामजद अभियुक्तों एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध सत्य प्रतीत होना पाया गया है।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन—2 के अनुसार	जेल—01 रिमांड—01 फरार—10	संभावित	गिरफ्तारी एवं शेष बिन्दुओं पर जांच हेतु	अनुसंधानान्तर्गत।
17.	नगर (सुपौल) थाना कांड सं0—174 / 13 दि0 06.05.13 धारा 406 / 409 / 420 / 467 / 468 / 471 / 34 भा0द0वि0	1. प्रयाग गुप कम्पनी 2. साई प्रा0 प्रोपर्टीज लि0 3. राहुल हाई राईज लिमिटेड 4. कोलकता वेय इंडस्ट्रीज लि0 5. एंजेल एग्रीटे ग्रुप ऑफ कम्पनीज	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन—2 के अनुसार अनुसार प्रा0 नामजद अभियुक्तों एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध सत्य प्रतीत होना पाया गया है।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन—2 के अनुसार	जमानत—01 फरार—20	संभावित	शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी / कुर्की— जब्त हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
18.	सुपौल थाना कांड सं0— 377 / 13 दि0 17.08.13 धारा 406 / 420 / 467 / 120(बी)	एन्जिल एग्रीटेक लिमिटेड कम्पनी, सुपौल।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन—2 के अनुसार अनुसार प्रा0 नामजद अभियुक्तों एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध सत्य प्रतीत होना पाया गया	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन—2 के अनुसार	फरार—09	संभावित	शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी / कुर्की— जब्त हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।

	भा0द0वि0		है।					
19.	सुपौल थाना कांड सं0- 399 / 13 दि0 27.08.13 धारा 420 / 406 / 380 / 120(बी) / 34 भा0द0वि0	प्रगति फाउन्डेशन फौर सस्टनेबल ग्रोथ कम्पनी।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 के अनुसार अनुसार प्रा0 नामजद अभियुक्तों एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध सत्य प्रतीत होना पाया गया है।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 के अनुसार	जेल-01 जमानत-04 फरार-01	संभावित	शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी / कुर्की-जब्त हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
20.	पिपरा (सुपौल) थाना कांड सं0-247 / 13 दि0 22.11.13 धारा 406 / 420 / 468 / 471 / 472 / 120(बी) / 34 भा0द0वि0	लॉग लाईफ कॉन्सेप्ट पी0भी0टी0 कम्पनी, पिपरा।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 के अनुसार अनुसार प्रा0 नामजद अभियुक्तों एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध सत्य प्रतीत होना पाया गया है।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 के अनुसार	फरार-09	संभावित	शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी / कुर्की-जब्त हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
21.	महिला (सुपौल) थाना कांड सं0-26 / 13 दि0 19.08.13 धारा 420 / 406 323 / 504 भा0द0वि0	लॉग लाईफ कांसेप्ट मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड कम्पनी, बगहा-02 शाखा कार्यालय, थुमहा।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 के अनुसार अनुसार प्रा0 नामजद अभियुक्तों एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध सत्य प्रतीत होना पाया गया है।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 के अनुसार	फरार-03	आरोप पत्र 01 (शिबो मंडल उर्फ शिबू मंडल)	शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी / कुर्की-जब्त हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
22.	नगर (मोतिहारी) थाना कांड सं0-188 / 13 दि0 02.05.13 धारा 406 / 408 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120(बी) / 34 भा0द0वि0	रोज वैली सेन मार्केटिंग सिस्टम लि0, मोतिहारी।	—	—	देवेन्द्र कुशवाहा एवं 09 अन्य गिरफ्तार	—	शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी / कुर्की-जब्त हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
23.	नगर (मोतिहारी)	समृद्ध जीवन	—	—	03 अभियुक्त	—	शेष अभियुक्तों की	अनुसंधानान्तर्गत।

	थाना कांड सं०-189 / 13 दि० 03.05.13 धारा 406 / 408 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120(बी) / 34 भा०द०वि०	फुड इंडिया लि०, मोतिहारी।			गिरफ्तार		गिरफ्तारी / कुर्की- जब्ती हेतु लंबित।	
24.	छतौनी (मोतिहारी) थाना कांड सं०-87 / 13 दि० 02.05.13 धारा 420 / 467 / 468 / 471 / 34 भा०द०वि०	अमृत प्रोजेक्ट, छतौनी।	—	—	सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।	—	01 अभियुक्त हरेन्द्र प्रसाद के सत्यापन एवं गिरफ्तारी हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
25.	छतौनी (मोतिहारी) थाना कांड सं०-88 / 13 दि० 02.05.13 धारा 420 / 467 / 468 / 471 / 34 भा०द०वि०	एक्सेस व्यू छतौनी।	—	—	01 अभियुक्त गिरफ्तार	—	शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी / कुर्की- जब्ती हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
26.	खजौली (मधुबनी) थाना कांड सं०-35 / 13 दि० 20.05.13 धारा 406 / 408 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120 (बी) भा०द०वि० एवं 76 चिट फंड एक्ट 1982 तथा 7(2) बिहार जमाकर्ता की हितों के संरक्षण अधिनियम 2002 नियमावली 2004	ज्योति क्रेडिट एण्ड सेविंग स्वावलम्बी सहकारी समिति लिमिटेड।	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से कांड प्राथमिकी मूल धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।		तीन नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।	संभावित	—	अनुसंधानान्तर्गत।
27.	नगर (मधुबनी) थाना कांड सं०-113 / 13 दि० 10.05. 13 धारा 406 / 408 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120(बी०) भा०द०वि० एवं 76 चिट फंड एक्ट एवं बिहार	समृद्ध जीवन फुड्स इंडिया लिमिटेड।	तथैव		पाँच नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।	संभावित	—	अनुसंधानान्तर्गत।

	डिपॉजिटर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 7(प)							
28.	नगर (मधुबनी) थाना कांड सं0-114 / 13 दि0 13.05.13 धारा 406 / 408 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120(बी0) भा0द0वि0 एवं 76 चिट फंट एक्ट एवं बिहार डिपॉजिटर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 7(प)	जे0सी0एस0एस0 एस0 एस0 लिमिटेड।	तथैव।	—	दो नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।	आरोप-पत्र सं0-238 / 13 दि0 10.08.13 समर्पित।	शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी/कुर्की-जब्त हेतु लंबित।	पूरक अनुसंधानान्तर्गत।
29.	बखरी (बेगूसराय) थाना कांड सं0-103 / 13 दि0 18.05.13 धारा 406 / 420 / 34 भा0द0वि0 एवं 4 / 5 / 6 प्राईज चीट एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैनिंग) एक्ट 1978	साथी शिल्पा ओ वाणिज्य लिमिटेड एवं साथी शिल्पा क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 से इस कांड को धारा 406 / 420 / 34 भा0द0वि0 एवं 4 / 5 / 6 प्राईज चिट एवं मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट 1978 के अन्तर्गत सभी प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	—	1. विजय कुमार 2. विनोद कुमार 3. मनोज कुमार यादव 4. मुकेश कुमार कंचन (शाखा प्रबधक) एवं 5. मो0मुंतजीम अंसारी		शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी/कुर्की-जब्त हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
30.	मुफ्फसिल (धनौती), सिवान थाना कांड सं0- 148 / 13 दि0 10.04.13 धारा 420 / 406 / 120(बी0) / 34 भा0द0वि0	श्री बी0आई0एस0एम0 प्रा0	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन से यह कांड धारा 420 / 406 / 120(बी0) / 34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अलाउद्दीन अंसारी, पे0-जान मो0 अंसारी, सा0-पकड़ी मकरियार धनई मियां के टोला, थाना-धनौती, जिला-सिवान 2. असरुल्ला अंसारी पे0-ईश महम्मद 3. हबीबुलाल अंसारी पे0-अजीज मियां 4. अजी अहमद पे0 शमशुल हक 5. नर आलम पे0- अब्बास 6. ईस मोहम्मद पे0- बोलीजान मियां, पाँचों सा0-भरथुई, थाना-धनौती	—	नामजद अभियुक्त 1. अली अहमद को दिनांक 24.02. 14 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, जो जमानत पर मुक्त हो चुके हैं। नामजद अभियुक्त अलाउद्दीन अंसारी एवं	—	यह कांड नामजद असरुला अन्सारी एवं नुर आलम की गिरफ्तारी हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।

			ओ0पी0 जिला-सिवान एवं 7. अनवर मिया बहनोई असरुल्लाह अंसारी के विरुद्ध सत्य पाया गया है।		हबीबुल्लाह अंसारी माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त हैं।			
31.	किशनगंज थाना कांड सं0-148 / 13 दि0 30.04.13 धारा 406 / 420 भा0द0वि0	प्रयाग इन्फोटेक हाई-राईज कम्पनी	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से इस कांड को प्राथ0 अभि0 शोहेल अहमद एवं अन्य शाखा से संबंधित कर्मियों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत कागजात एवं कंपनी का भाग जाना।	1. शोहेल अहमद, ब्रांच मैनेजर, गिरफ्तार।	—	अन्य अज्ञात ऐजेंट एवं कर्मियों की संलिप्तता के संबंध में जांच हेतु लंबित	अनुसंधानान्तर्गत।
32.	किशनगंज थाना कांड सं0 198 / 13 दि0 02.06.13 धारा 406 / 420 / 120(बी) भा0द0वि0	शारदा रियाल्टी इण्डिया लिमिटेड।	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से इस कांड को प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत कागजात एवं कंपनी का भाग जाना।	सुदीप्त सेन एवं देवयानी मुखर्जी, सिलीगुड 1 थाना कां0सं0-426 / 13 में न्यायिक हिरासत में है इन्हें इस कांड में रिमाण्ड करने की कार्रवाई की गयी है।	—	अन्य प्राथमिकी अभियुक्त के नाम पता का सत्यापन एवं गिरफ्तार हेतु लंबित	अनुसंधानान्तर्गत।
33.	नगर (सीतामढी) थाना कांड सं0-417 / 13 दि0 16.05.13 धारा 406 / 420 / 467 / 468 / 471 / 434 / 477(ए0) भा0द0वि0	बचत स्वामिनी सहयोग समिति लिमिटेड।	—	—	—	—	शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी / कुर्की-जब्ती हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
34.	बनमनखी (पूर्णिया) थाना कांड सं0-64 / 13 दि0 05.05.13 धारा 406 / 420 / 467 / 468 भा0द0वि0	प्रतिज्ञा हाउसिंग फिनांस एण्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड।			अतायुल रहमान को गिरफ्तार किया गया।		शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी / कुर्की-जब्ती हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।

35.	सदर, (पूर्णिमों) थाना कांड सं०-527/13 दि०, 01.12.13 धारा-406/420/467/468 भा०द०वि०	शिलवरसन इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं ईजी फ्यूचर एग्री इंडिया लि० कंपनी	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-03 से इस कांड को धारा 420/406/467/468 भा०द०वि० के अंतर्गत अभि० 1. मो० लाल पे० मो० काजीद सा० नीलबारी कनबा बाजार, 2. मो० कौशर आजम पे० अंशूर रहमान सा० चिमनी बाजार, थाना जि० पूर्णिमों 3. औबेदूर रहमान पे० तमीजुद्दीन सा० बड़ा, थाना ईटाहर, जि० उत्तरी दिनाजपुर (प० बंगाल) 4. मो० नजीरुद्दीन सा० कलीया चौक, जिला मालदा (प० बंगाल) 5. विश्वजीत बनर्जी पे० अखिलेश कु० बनर्जी, सा०-बी 40, गौशाला न्यू स्कीम रिजेंद्र पार्क, साउथ 24 परगना कलकत्ता 6. मिथिलेश कु० मंडल पे० चंदेश्वर मंडल 7. राकेश मंडल दोनों सा० वर्मा कॉलोनी तीनगछिया, थाना कटिहार के विरुद्ध सत्य पाया गया है एवं आरोप पत्र का पर्याप्त साक्ष्य है।	सभी अभियुक्तों द्वारा फर्जी कंपनी खोलकर सौकडों व्यक्तियों को लाखों रुपये गबन कर फिरार हो गये हैं।	1. मो० कौशल आजम 2. मो० लाल	आरोप पत्र सं०-166/14, दि० 13.07.14, पूरक अनुसंधान जारी।	शेष पॉच अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु	अनुसंधानान्तर्गत।
36.	नगर (नवादा) थाना कांड सं०-245/13 दि० 11.05.13 धारा 409/420 भा०द०वि० एवं 3/4 प्राईज चिट एण्ड मनी सर्कुलेशन (बैंकिंग) स्कीम 1978	इन्डस वेयर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड कम्पनी।					शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी/कुर्की-जब्ती हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।

37.	नगर (आरा) थाना कांड सं०-28/13 दि० 28.01.13 धारा 467 / 468 / 471 / 419 / 420 / 120 (बी) भा०द०वि०	ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इम्पेक्स।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 में यह कांड सत्य पाया गया है।		अभियुक्त स्नेहा श्रीवास्तव कोर्ट जमानत पर है।		1.अभियुक्त जितेन्द्र श्रीवास्तव के गिरफ्तारी/ कुर्की जप्ति हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
38.	नवादा (आरा) थाना कांड सं०-264/13 दि० 02.08.13 धारा 406 / 409 / 420 / 467 / 4 68 / 471 भा०द०वि० एवं 68 कम्पनी एक्ट 1956	1. बीयर्ड इन्फ्रा रियल्टी इंडिया लिमिटेड। 2. बीयर्ड इंडस्ट्रीयल लिमिटेड, हेड ऑफिस, भाग्य लक्ष्मी बिल्डिंग, हावड़ा, जनता रोड, दासनगर, हावड़ा-711105 वेस्ट बंगाल 3. बीयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि० हेड ऑफिस, 34 सी०/24 नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 में यह कांड सत्य पाया गया है।		1. संजीव कुमार 2. अमित कुमार सिंह		शेष 05 अभियुक्तों की गिरफ्तारी/ कुर्की- जब्ती हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
39.	भेलदी (छपरा) थाना कांड सं०-10/13 दि० 08.01.13 धारा 420 / 467 / 468 / 471 भा०द०वि०	आई०भी०एम० डिभेन्चर पंजाब नेशनल बैंक ओपनिंग सौटली।	यह कांड आई०भी०एम० पंजाब नेशनल ओपनिंग सोसाईटी के नाम पर अंबिका प्रसाद के मकान पर बैनर लगाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है। यह कांड पांच अप्राथ० अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।		1. प्रा०अभि० मनोज कु० सिंह	प्रा०अभि० मनोज कु० सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र सं० 21/14 दिनांक 30.03.14 समर्पित की गई है।	प्रा०अभि० 1. अवधेश कुमार सिंह उर्फ अजय कुमार सिंह 2. अंजु कुमारी उर्फ अंजु उपाध्याय 3. रितुराज राज सागर 4. राजेश कुमार उर्फ पप्पु की गिरफ्तारी हेतु लंबित	अनुसंधानान्तर्गत।
40.	दरियापुर (छपरा) थाना कांड	आई०भी०एम० पंजाब नेशनल	यह कांड आई०भी०एम० पंजाब नेशनल ओपनिंग				अज्ञात अभियुक्त को पता करना।	अनुसंधानान्तर्गत।

	सं0-03/13 दि0 05.01.13 धारा 420/467/468/ 120(बी) भा0द0वि0	बैंक ओपनिंग सौटली।	सोसाईटी के नाम पर अंबिका प्रसाद के मकान पर बैनर लगाने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है। यह कांड अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया है।					
41.	भेल्दी (छपरा) थाना कांड सं0-131/13 दि0 26.07.13 धारा 406/420/467/ 468/471/ 120(बी)/34 भा0द0वि0	ईजीगेन मार्केटिंग इंडिया लिमिटेड	यह कांड अभियुक्तों द्वारा वादी को ए0बी0आई0 का सी0एस0पी0 बाउंड खोलने एवं चार वर्ष में पैसा दुगना करने का झांसा देने के आरोप में कांड दर्ज कराया गया है। तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध कांड सत्य पाया गया है।		01 अभियुक्त गिरफ्तार।	प्रा0 अभि0 1. विजेन्द्र प्रकाश के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 137/13 दिनांक 15.12.13 समर्पित की गई है।	प्रा0 अभि0 1. देवेन्दु प्रकाश एवं 2. अखिलेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी हेतु लंबित	अनुसंधानान्तर्गत।
42.	मांझी (छपरा) थाना कांड सं0-127/13 दि0 14.08.13 धारा 417/418 भा0द0वि0	गोल्ड मार्डन इंडस्ट्रीज लि0, मांझी	यह कांड जिला पदा0 के निर्देश पर वादी द्वारा जॉचोपरांत यह कांड दर्ज कराया गया है। यह कांड एक अभियुक्त के विरुद्ध सत्य पाया गया है। अभि0 के नाम पता का सत्यापन नहीं हो पाया है।				अभियुक्त के नाम-पता का सत्यापन कर गिरफ्तार करना।	अनुसंधानान्तर्गत।
43.	कोतवाली (गया) थाना कांड सं0-161/13 दि0 15.05.13 धारा 419/420/406/ 467/468/471/1 20 (बी0)/34 भा0द0वि0	फालकन इन्डस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड एवं विवइयोर गोला लिमिटेड।	सभी अभियुक्तों के विरुद्ध यह कांड मूल धाराओं के अन्तर्गत सत्य पाया गया है।		सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।		—	अन्य बिन्दुओं पर अनुसंधानान्तर्गत।
44.	धोरैया (बांका) थाना कांड सं0-41/13 दि0 08.04.13 धारा 406/420/467/ 468/471/ 120(बी0) भा0द0वि0	अपना परिवार एग्रो लिमिटेड।	—	—	—	—	शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी/कुर्की- जब्त हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
45.	अमरपुर (बांका) थाना कांड	1. नन दैनी वेंचर लि0	—	—	—	—	अभियुक्तों की गिरफ्तारी/कुर्की-	अनुसंधानान्तर्गत।

	सं०-78 / 13 दि० 07.04.13 धारा 420 / 406 / 467 / 468 / 471 / 120(बी 0) भा०द०वि०	2. प्रयाग इन्फोटेक हाईराईज लि० 3. डेयर्ड इन्फास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लि०					जब्ती हेतु लंबित।	
46.	अमरपुर (बांका) थाना कांड सं०-114 / 13 दि० 11.05.13 धारा 406 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120(बी 0) भा०द०वि०	1. अपना परिवार एग्रो फॉर्मिंग डेवलप इंडिया लिमिटेड 2. एम०आर० एस०एच० एग्रोटेक इंडिया लिमिटेड	—	—	—	—	अभियुक्तों की गिरफ्तारी / कुर्की— जब्ती हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
47.	कटोरिया (बांका) थाना कांड सं०-81 / 13 दि० 13.05.13 धारा 406 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120(बी०) भा०द०वि०	रैमल रीयल इस्टेट एण्ड इन्फास्ट्रक्चर लि०	—	—	—	—	शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी / कुर्की— जब्ती हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
48.	अमरपुर (बांका) थाना कांड सं०-115 / 13 दि० 11.05.13 धारा 420 / 406 / 467 / 468 / 471 / 120(बी०) भा०द०वि०	रैमल इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड।	—	—	—	—	अभियुक्त की गिरफ्तारी / कुर्की— जब्ती हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
49.	सदर (सहरसा) थाना कांड सं०-128 / 13 दि० 15.03.13 धारा 406 / 420 / 34 भा०द०वि०	द कोशी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड।	अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 से यह कांड धारा 406 / 420 / 467 / 468 / 120(बी) / 34 भा०द०वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी के सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा आरोप पत्र के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है।	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में पाया गया कि इस कांड के वादी के अलावे अन्य हजारों लोगों को भी इसी तरह विश्वास में लेकर लखों रुपया फर्जी बैंक खोलकर प्रा०अभियुक्तों द्वारा जमा करवाया गया जिसका समयावधि पर	1. जितेन्द्र मिश्रा, प्रबंधक निदेशक (गिरफ्तार) 2. अनूज कु० सिंह उर्फ अनूज सिंह 3. अजय झा (न्यायालय में आत्मसमर्पण)	आरोप-पत्र सं०-146 / 13 दिनांक 14.05.13 विरुद्ध 1. जितेन्द्र मिश्रा समर्पित 2. अभि० अनूज कु० सिंह तथा 3. अजय झा के विरुद्ध आरोप पत्र की कार्रवाई की जा रही है।	कांड के शेष एक अभि० जागो प्र० मंडल फरार हैं जिनके विरुद्ध गिरफ्तारी / कूर्की-जप्ती की कार्रवाई की जा रही है।	पूरक अनुसंधानान्तर्गत।

				भुगतान नहीं किया गया एवं रुपये का गबन कर सभी शाखाओं में ताला लगाकर फरार हो गये।				
50.	सिमरी बख्तियारपुर (सहरसा) थाना कांड सं० 64/13 दि० 19.03.13 धारा 406/420/467/468/120(बी)/34 भा०द०वि०	द कोशी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटेड।	अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 से यह कांड धारा 406/420/467/468/120(बी)/34 भा०द०वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. जितेन्द्र मिश्रा 2. अजय झा 3. अनुज सिंह 4. जोगी मंडल एवं अन्य सहयोगी के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में पाया गया कि प्राथमिकी अभियुक्तगण फर्जी कम्पनी खोलकर अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर सैकड़ों ग्राहकों से करोड़ों रुपये गबन की नियम से जमा की गयी राशि का मैच्युरिटी पुरा होने के बाद भी वापस नहीं किये।	1. जितेन्द्र मिश्रा, प्रबंधक निदेशक (गिरफ्तार) 2. अनूज कु० सिंह उर्फ अनूज सिंह 3. अजय झा (न्यायालय में आत्मसमर्पण)	आरोप-पत्र सं०-100/13 दिनांक 21.05.13 को प्राथ० अभि० जितेन्द्र मिश्रा के विरुद्ध विरुद्ध समर्पित किया गया है तथा अभि० जागो प्र० मंडल, अभि० अनुज कुमार एवं अजय झा के विरुद्ध आरोप पत्र सं० 33/15 दि० 21.02.15 के विरुद्ध समर्पित किया गया है।	---	
51.	लहेरिया सराय (दरभंगा) थाना कांड सं०-363/13, दि० 22.08.13 धारा 406/420/467/468/471/120(बी)/34 भा०द०वि०	विश्वमित्र इंडिया परिवार।	पर्यवेक्षणोपरान्त यह कांड धारा 406/420/467/468/471/120 (बी)/34 भा०द०वि० के अन्तर्गत प्राथ० अभियुक्त 1. मनोज कुमार चौड़, सी० एम०डी० 2. पंकज कुमार चौड़, एम०डी० 3. अशोक कुमार सिंह, जेनरल मैनेजर 4. विवेकानन्द झा 5. नीतेश कुमार झा 6. रमण कु. वर्मा एवं अन्य विश्वमित्र इंडिया परिवार के सभी व्यक्तियों के विरुद्ध सत्य प्रतीत होना		02 अभियुक्तों को गिरफ्तार को जेल भेजा गया है।		शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी/कुर्की-जब्ती हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।

			पाया गया है।					
52.	फारबिसगंज (अररिया) थाना कांड सं0 08/13, दि0 08.01.13 धारा 420/406 भा0द0वि0	—	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 से यह कांड अभि0 दीपक कुमार के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	—	—	—	गिरफ्तारी हेतु	अनुसंधानान्तर्गत
53.								
54.								
वर्ष 2014								
55.	बाढ़ (पटना) थाना कांड सं0-105/14 दि0 26.03.14 धारा 406/420/120(बी0) भा0द0वि0	सी0डब्लू0बी0सी0 एल0 लि0 कंपनी	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से इस काण्ड में प्राथमिकी के 04 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया। 01 अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। शेष अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।	—	01 अभियुक्त	आरोप-पत्र सं0-100/14, दिनांक 24.05.2014 समर्पित की गयी है।	अन्य बिन्दुओं पर जांच एवं शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लंबित है।	अनुसंधानान्तर्गत।
56.	गौंधी मैदान थाना कांड सं0-408/14, दि0 18.11.14, धारा 420/467/468/406/471/120 बी भा0द0वि0 एवं 66 आई0टी0 एक्ट	पी0एच0सी0एल0 इंडिया लिमिटेड	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से पी0एच0सी0एल0 के शाखा प्रबंधक एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सेवी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी, साजिश, कुटुरचना, आपराधिक षडयंत्र कर तथा सूचना तकनीकी का दुरुपयोग कर ग्राहकों एवं जनता के धन का जमा कराने के आरोप में दर्ज किया गया है।	विधिवत तलाशी के क्रम में रजिस्टर, दस्तावेज, सी0पी0यू0, जमा पर्ची, डाटा सी0डी0, रिनूवल रसीद इत्यादि।	डायरेक्टरो/प्रमोटर्स 1. आनंद गुरुवंत 2. तारलोचन सिंह 3. सुखदेव सिंह 4. निर्मल सिंह भोगू 5. कुरुनाम सिंह 6. उपल देवेंद्र कुमार 7. डाईगर योगेंद्र 8. गुरुमीत सिंह 9. सुब्रत भट्टाचार्य एवं पी0एच0सी0एल0 पटना शाखा के प्रबंधक एवं अन्य कर्मी	—	अभियुक्त के नाम-पता का सत्यापन कर गिरफ्तार करने एवं अन्य निर्देशों का अनुपालन करने हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत
57.	किशनगंज थाना कांड सं0 08/14 दि0 04.01.14 धारा 420/406/120(बी) भा0द0वि0	ववक चीतउंबनजपबं पे रजकण — ववक रजकण	यह कांड अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से प्राथमिकी के सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत कागजात एवं कंपनी का भाग जाना।	—	—	अभियुक्तों के नाम एवं पता का सत्यापन एवं गिरफ्तारी हेतु लंबित	अनुसंधानान्तर्गत।
58.	नगर कटिहार थाना	नन-बैंकिंग	यह कांड अनुसंधान एवं	—	—	आरोप पत्र	प्राथ0 अभि0 के	अनुसंधानान्तर्गत।

	कांड सं०-407 / 14 दिनांक 13.07.14 धारा 406 / 420 भा०द०वि०	कंपनी	पर्यवेक्षण से धारा 420 / 406 / 120 बी भा०द०वि० के अंतर्गत प्राथ० अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। प्राथ० अभि० के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा 41 (1)(बी) के अंतर्गत कार्रवाई एवं वादी एवं अन्य से चेक, रसीद, बौंड पेपर एवं कागजात प्राप्त करने तथा अन्य साक्षियों के बयान लेने हेतु लंबित है।			संभावित है।	विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा 41 (1)(बी) के अंतर्गत कार्रवाई एवं वादी एवं अन्य से चेक, रसीद, बौंड पेपर एवं कागजात प्राप्त करने तथा अन्य साक्षियों के बयान लेने हेतु लंबित है।	
59.	नगर कटिहार थाना कांड सं०-506 / 14, दि० 16.08.14 धारा 384 / 406 / 420 / 4 67 / 468 / 471 / 34 भा०द०वि०	प्रतिज्ञा हाउसिंग फिनान्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन लि० कंपनी	यह कांड अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से धारा 406 / 420 / 467 / 468 / 4 71 / 34 भा०द०वि० के अंतर्गत प्राथ० के सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।				प्राथ० अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत।
60.	नगर कटिहार थाना कांड सं०-507 / 14 दि० 16.08.14 धारा 409 / 420 / 120 बी भा०द०वि०	एम०एस० सिलिकॉन प्रोजेक्ट इंडिया लि०	यह कांड अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड धारा 406 / 467 / 468 / 471 / 3 4 भा०द०वि० एवं 138 एन०आई० एक्ट के अंतर्गत प्राथ० के सभी नामजद अभि० के विरुद्ध सत्य पाया गया है।				प्राथ० अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत।
61.	नगर कटिहार थाना कांड सं०-787 / 14 दि० 14.12.14 धारा 406 / 420 / 467 / 4 68 / 471 भा०द०वि०	नन-बैंकिंग कंपनी	यह कांड अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड धार 406 / 420 / 467 / 468 / 4 71 / 34 भा०द०वि० के अंतर्गत प्राथ० के सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।				प्राथ० अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत।
62.	सहायक कटिहार थाना कांड सं०-349 / 14 दि० 19.06.14 धारा	नन-बैंकिंग कंपनी	यह कांड अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड धारा धारा 406 / 420 / 504 / 120				प्राथ० अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत।

	406 / 420 / 504 / 1 20 बी / 34 भा0द0वि0		बी / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथ0 के सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।					
63.	आजमनगर कटिहार थाना कांड सं0-225 / 14 दि0 24.09.14 धारा 406 / 420 / 467 / 4 68 / 34 भा0द0वि0	यूनाइटेड मेडिसीन एवं सर्जिकल इन्डस्ट्री लि0	यह कांड अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड धारा 406 / 420 / 467 / 468 / 3 4 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथ0 के सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।		1. रविशंकर महतो उर्फ रविशंकर ललन 2. रंधीर सिंह राणा 3. डोमाई महतो	प्राथ0 अभि0 रविशंकर महतो उर्फ रविशंकर ललन के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 126 / 14 दि0 30.10.14 एवं अभि0 रंधीर सिंह राणा एवं डोमाई महतो के विरुद्ध पूरक आरोप पत्र सं0 155 / 14 दि0 20.12.14 समर्पित की गयी है। पूरक अनुसंधान जारी है।	प्राथ0 अभियुक्त राकेश महतो की गिरफ्तारी हेतु।	पूरक अनुसंधान जारी
64.	आजमनगर कटिहार थाना कांड सं0-282 / 14 दि0 05.12.14 धारा 420 / 406 / 506 / 4 37 / 468 / 471 भा0द0वि0	प्रतिज्ञा हाउसिंग कंपनी लि0	यह कांड अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से यह कांड धारा 420 / 406 / 506 / 467 / 468 / 471 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथ0 अभि0 के विरुद्ध सत्य पाया गया है।		मो0 एजाज न्यायालय में आत्मसमर्पण।			अनुसंधानान्तर्गत।
65.	बलिया (बेगूसराय) थाना कांड सं0-49 / 14 दि0 11.02.14 धारा 467 / 468 / 471 / 406 / 4 20 / 120(बी) भा0द0वि0	स्टारमेकर एजुकेशनल एवं डेवलपमेंट ट्रस्ट।	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 से इस कांड को धारा 467 / 468 / 471 / 406 / 420 / 120 (बी) / 504 / 506 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त 1. मो0 जहाँगीर 2. अनुज शर्मा के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	अभियुक्तों का नाम पता का सत्यापन किया गया तथा छापामारी की गयी।			अभियुक्तों की गिरफ्तारी / कुर्की- जब्ती हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत।
66.	बसंतपुर (सिवान) थाना कांड सं0-330 / 14, दि0 07.11.14, धारा 467 / 468 / 471 / 4 72 / 406 / 120	शारदा ग्रुप ऑफ कंपनी	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध 51,350 रू0 ठगने तथा मांगने पर गाली गलौज करने तथा जान मारने की	—	—	—	—	अनुसंधानान्तर्गत।

	बी/323/504/50 6 भा0द0वि0		धमकी देने के आरोप में दर्ज किया गया है।					
67.	बसंतपुर (सिवान) थाना कांड सं0-331/14, दि0 07.11.14, धारा 406/420/465/4 67/468/471/34 भा0द0वि0	नेशनल सर्विसेज	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद के आधार पर प्राथ0 अभियुक्तों के विरुद्ध जालसाजी कर धोखे में रखने रुपया ठगने तथा उन रुपयों का गबन करने के आरोप दर्ज किया गया है। पर्य0 एवं प्रतिवेदन-2 से यह कांड प्राथ0 अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	—	—	—	अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं कूर्की-जप्ती की कार्रवाई हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत।
68.	बसंतपुर (सिवान) थाना कांड सं0-332/14, दि0 07.11.14, धारा 420/406/465/4 67/468/471/34 भा0द0वि0	नेशनल सर्विसेज	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद के आधार पर प्राथ0 अभियुक्तों के विरुद्ध जालसाजी कर धोखे में रखने रुपया ठगने तथा उन रुपयों का गबन करने के आरोप दर्ज किया गया है। पर्य0 एवं प्रतिवेदन-2 से यह कांड प्राथ0 अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	—	—	—	अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं कूर्की-जप्ती की कार्रवाई हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत।
69.	बसंतपुर (सिवान) थाना कांड सं0-333/14, दि0 07.11.14, धारा 406/420/465/4 76/467/471/34 भा0द0वि0	नेशनल सर्विसेज	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद के आधार पर प्राथ0 अभियुक्तों के विरुद्ध जालसाजी कर धोखे में रखने रुपया ठगने तथा उन रुपयों का गबन करने के आरोप दर्ज किया गया है। पर्य0 एवं प्रतिवेदन-2 से यह कांड प्राथ0 अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	—	—	—	अभियुक्ता की गिरफ्तारी एवं कूर्की-जप्ती की कार्रवाई हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत।

70.	नगर (सिवान) थाना कांड सं०-485/14, दि० 18.11.14, धारा 467/468/419/420/406/120 (बी) भा०द०वि०	पी०ए०सी०एल० इंडिया लि०	यह कांड वादी के प्रतिवेदन के आधार पर नामजद अभि० के विरुद्ध सेवी के आदेश का उल्लंघन कर पैसा जमा कराने के आरोप में दर्ज किया गया है।	—	07 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।	—	—	अनुसंधानान्तर्गत।
71.	के०हाट, (पूर्णिमा) थाना कांड सं०-01/14 दि०, 01.01.14 धारा-420/406/467/468/471 भा०द०वि०	ग्रेट ओवरसीज कोमोडियल लि०	पर्य० एवं प्रति०-02 से इस कांड को धारा 420/406/467/468/471 भा०द०वि० के अंतर्गत प्राथ० के छः नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सम्य एवं आरोप पत्र का पर्याप्त साक्ष्य पाया गया है।	सभी अभियुक्तों द्वारा फर्जी कंपनी खोलकर सैकड़ों व्यक्तियों का लाखों रुपया गबन कर फिरार हो गये।	1. प्राथ० अभि० निखिल चंद्र रविदास	आरोप पत्र सं०-49/14, दि० 24.04.14, पूरक अनुसंधान जारी।	पाँच अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत।
72.	सदर, (पूर्णिमा) थाना कांड सं०-67/14 दि०, 02.02.14 धारा-406/420 भा०द०वि०	साईन इंडिया	पर्य० एवं प्रति०-2 से यह कांड धारा 406/420/467/468 भा०द०वि० के अंतर्गत प्राथ० के तीनों नामजद अभि० के विरुद्ध सत्य पाया गया।	सभी अभियुक्तों द्वारा फर्जी कंपनी खोलकर सैकड़ों व्यक्तियों का लाखों रुपया गबन कर फिरार हो गये।	1. अजीजुर रहमान 2. अब्दुल कलाम आजाद	आरोप पत्र सं०-67/14, दि० 22.05.14, पूरक अनुसंधान जारी।	एक अभि० की गिरफ्तारी हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत।
73.	सदर मुफ़्फ़िसल, (पूर्णिमा) थाना कांड सं०-541/14 दि०, 28.10.14 धारा-420/467/468/471/409/120	विश्वमित्र इंडिया परिवार	पर्य० एवं प्रति०-2 से यह कांड धारा 420/467/468/471/409/120 (बी) भा०द०वि० के अंतर्गत प्राथ० के सातों नामजद एवं तीन अप्राथ० अभियुक्तों के	सभी अभियुक्तों द्वारा फर्जी कंपनी खोलकर सैकड़ों व्यक्तियों का	1. विवेक कुमार 2. उमाकांत मंडल 3. एरिया मैनेजर मणि कु० मणि 4. रिजनल मैनेजर शाजीद खॉ 5. डिवीजनल मैनेजर संजय कु० पांडेय	—	शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत।

	(बी) भा0द0वि0		विरुद्ध सत्य होना पाया गया है।	लाखों रुपया गबन कर फिरार हो गये।	6. पूर्व रिजनल मैनेजर हिटलर कु0 सिंह 7. विपिन कु0 झा			
74.	के0 हाट (पूर्णिछाँ) थाना सं0 926 / 14, दि0 17.11.14 धारा 406 / 420 / 467 / 4 68 / 471 / 109 / 12 0 बी / 34 भा0द0वि0 एवं धारा-3 बिहार डिपोजिट एक्ट 2002 एवं 66 आई0टी0 एक्ट	पी0ए0सी0एल0 कंपनी	अनुसंधान से पी0ए0सी0एल0 के शाखा प्रबंधक एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सेबी के निर्देश का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी, साजिश, कूटरचना, आपराधिक षडयंत्र कर तथा सूचना तकनीकी का दुरुपयोग कर ग्राहकों एवं जनता के धन को जमा कराने की बात प्रकाश में आई।	---	---	---	---	अनुसंधानान्तर्गत।
75.	बिहीयां(भोजपुर) थाना कांड सं0- 167 / 14, दि0 08. 07.14 धारा-419 / 420 / 4 67 / 468 / 471 / 40 9 भा0द0वि0 एवं 68 कंपनी एक्ट, 1956	साईन इंडिया एग्री इंडस्ट्रीज लि0 एवं विश्वामित्र इंडिया इन्फ्रा लि0	यह कांड वादी के स्वलिखित बयान के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्तों के विरुद्ध कंपनी का कार्यालय खोलकर लोगों को प्रलोभन देकर, गुमराह कर एवं धोखाधड़ी कर लोगों को पैसा जमा कराने का आरोप है।	दोनों कंपनी के कार्यालय से पैसा जमा करने से संबंधित कागजात एवं कंपनी से संबंधित दस्तावेज	04 प्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तार	-	-	अनुसंधानान्तर्गत।
76.	कोइलवर (भोजपुर) थाना कांड सं0- 178 / 14, दि0 09.10. 14 धारा-341 / 323 / 420 / 406 / 120(बी) / 467 / 468 / 471 / 34 भा0द0वि0 एवं 38 कंपनी एक्ट, 1956	पाटिलपुत्रा कन्सल्टेंट लि0 कं0	यह कांड वादी दिनेश शुक्ला के लिखित आवेदन के आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध नौकरी एवं टॉवर लगाने के एवज में रुपया जमा कराने एवं धोखाधड़ी के आरोप में अंकित कराया गया है।	-	-	-	अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु	अनुसंधानान्तर्गत।
77.	अमनौर (छपरा) थाना कांड सं0-16 / 14 दि0 13.02.14 धारा 420 / 467 / 468 /	नन बैंकिंग कम्पनी।	धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर 75 हजार रुपये ले जाने के संबंध में अंकित किया गया है। पांचों	-	-	-	सभी नामजद पांचों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु	अनुसंधानान्तर्गत।

	406/120(बी)/34 भा0द0वि0		अभियुक्तों के विरुद्ध कांड सत्य पाया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।					
78.	नगर छपरा थाना कांड सं0 351/14, दि0 22.11.14, धारा 406/420/467/468 भा0द0वि0	पी0ए0सी0एल0 इंडिया लि0	धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर रामबाबू राय का करीब बीस लाख रुपये एवं अन्य ग्राहकों का रूपया हड़ लेने तथा कंपनी के भाग जाने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है।		1. पी0ए0सी0एल0 इंडिया लि0 कंपनी के शाखा प्रबंधक एवं अन्य कर्मि	—	—	गिरफ्तारी हेतु ।
79.	सहरसा सदर थाना कांड सं0 143/14 दिनांक 08.03.14 धारा 406/420/34 भा0द0वि0	स्टार मेकर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट	अनुसंधान, पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 से यह कांड धारा 406/420/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथ0 नामजद अभि0 1. अनोज शर्मा (प्रबंधक) 2. मनोज शर्मा एवं उनके सहयोगी कर्मि तथा परिवार के अन्य सदस्य, सा0 चदा टॉकिज रोड भिरखी, वार्ड नं0 21, थाना+जिला मधेपुरा, वर्तमान गांधी पार्क, उपेंद्र साह के मकान, थाना सदर जिला सहरसा के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से पाया गया प्राथ0 अभि0 सहरसा गांधी पथ स्थित उपेंद्र साह के मकान थाना सदर जिला सहरसा में स्टार मेकर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट खोलकर भोली भाली जनता से रुपये की ठगी की गयी।	—	—	गिरफ्तारी हेतु	अनुसंधानान्तर्गत ।
80.	अररिया थाना कांड सं0 97/14 दि0 04.03.14, धारा 406/411/418/420/421/424/465/468/201/204/120 बी भा0द0वि0		पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन 02 के आधार पर प्राथमिकी के सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	—	—	—	गिरफ्तारी हेतु	अनुसंधानान्तर्गत
81.	फारबिसगंज सिमराहा थाना कांड सं0	—	पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन-2 से यह कांड नामजद सभी 11	—	1. शंभू शर्मा 2. बप्पा दीप्तो	—	08 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु	अनुसंधानान्तर्गत

	330 / 14, दि० 13.07.14 धारा 406 / 420 / 468 / 379 भा०द०वि०		अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है।		बनर्जी एवं 3. अजय कु० मंडल (सभी न्या० में आत्मसमर्पण)			
82.	फारबिसगंज सिमराहा थाना कांड सं० 684 / 14 दि० 11.10.14, धारा 406 / 419 / 34 भा०द०वि०	—	पर्यवेक्षण हेतु	—	—	—	—	अनुसंधानान्तर्गत
83.	अररिया थाना कांड सं० 753 / 14, दि० 16.10.14, धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 120 बी / 34 भा०द०वि०	—	पर्यवेक्षण हेतु	—	—	—	—	अनुसंधानान्तर्गत
84.	वैशाली नगर थाना कांड सं० 990 / 14, दि० 13.11.14, धारा 406 / 420 / 467 / 468 / 120 बी भा०द०वि०	कोलकत्ता वायर इन्डस्ट्रीज	—	—	—	—	—	अनुसंधानान्तर्गत
85.	वैशाली नगर थाना कांड सं० 1000 / 14, दि० 17.01.14, धारा 467 / 468 / 471 / 420 / 120 बी भा०द०वि०	पी०ए०सी०एल० इंडिया लिमिटेड	यह कांड एक षडयंत्र के तहत सभी अभियुक्तों के द्वारा सेबी के आदेशों का उल्लंघन कर ग्राहकों से अवैध रूप से धनराशि प्राप्त करने के आरोप में दर्ज किया गया है।	—	—	—	—	अनुसंधानान्तर्गत
86.	बक्सर नगर थाना कांड सं० 529 / 14, दि० 20.11.14, धारा 406 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120 बी० भा०द०वि एवं 66 आई० एमंडमेंट एक्ट	पी०ए०सी०एल० इंडिया लिमिटेड	यह कांड नन बैंकिंग कंपनी पी०ए०सी०एल० कंपनी के कर्मियों द्वारा खाताधारकों का पैसा बिना भुगतान किये हुए भाग जाने के आरोप में दर्ज कराया गया है।	—	—	—	—	अनुसंधानान्तर्गत
87.	अरियरी (शेखपुरा) थाना कांड सं०-129 / 14, दि०	प्रासलिन इन्डस्ट्रीज	अनुसंधान, पर्य० एवं प्रति०-2 से इस कांड को प्राथ० के सभी नामजद अभियुक्तों के	—	—	—	—	अनुसंधानान्तर्गत

	24.09.14, धारा 419 / 420 / 406 भा0द0वि0		विरुद्ध धारा 419 / 420 / 406 / 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत सत्य पाया गया।					
88.	जमालपुर (मुंगेर) थाना कांड सं0-18 / 14, दि0 12.02.14 धारा 420 / 409 / 465 / 46 7 / 468 / 471 भा0द0वि0	समृद्धि जीवन मल्टी स्टेट, मल्टी परपस कॉर्पोरेशन सोसाईटी लि0	यह कांड कोर्ट परिवाद के आधार पर प्राथ0 अभि0 द्वारा कंपनी का लगभग 85,000 रुपये का जालसाजी कर गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। अनुसंधान के क्रम में इस कांड को प्राथमिकी अभि0 के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	—	—	—	अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं कूकी-जप्ती हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत
89.	कोतवाली (मुंगेर) थाना कांड सं0-322 / 14, दि0 24.11.14 धारा / 406 / 420 / 467 / 468 / 471 / 323 / 504 / भा0द0वि0	इरित बिहार, मिचल बेनीफिट लि0	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद के अधार पर अभि0 के विरुद्ध अमानत में ख्यानत कराने के आरोप में अंकित कराया गया है। अनुसंधान के क्रम में इस कांड को सभी अभियुक्तों के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा कांड का घटनास्थल मुंगेर जिला में न होकर इस कांड को लखीसराय जिला में होने के कारण लखीसराय जिला में प्रतिवेदित कराकर अनुसंधान कराना न्यायोचित प्रतीत होना पाया गया है।	—	—	—	इस कांड का घटनास्थल मुंगेर जिला न होकर लखीसराय जिला अंतर्गत होने के कारण लखीसराय जिले में कांड प्रतिवेदित कर अनुसंधान कराये जाने हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत
90.	सिविल लाईन गया थाना कांड सं0-344 / 14	एभर लाईट रियल, इन्फ्रा टैक्चर लि0 कंपनी, जिसका वर्तमान नाम ईरील विहार मियूअल	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कांड को सत्य पाया गया है।	ग्राहक का रुपया जमा करने से संबंधी रसीद	---	संभावित	अभियुक्तों की गिरफ्तार हेतु	अनुसंधानान्तर्गत

		बेनेफिट इंडिया लि०						
91.	गया कोतवाली थाना कांड सं० 460 / 14	छमू स्दक हतव पदकनेजतपमे स्जकण पता 13, 13ए तल चटर्जी इंटरनेशनल पार्क स्ट्रीट कोलकाता	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कांड को सत्य पाया गया है।	---	---	---	राज्य से बाहर जाकर प्राथ० अभियुक्त के नाम-पता का सत्यापन कर गिरफ्तारी हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत
92.	गया कोतवाली थाना कांड सं० 601 / 14	मपतक प्दतिंजतनबजनतमे ब्वतचवतंजपवदए स्जकण	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कांड को सत्य पाया गया है।	1. डेबेन्चर सट्रिफिकेट 2. ब्याज का बाउचर	1. शोभा कुमार 2. अरुण कुमार 3. गुड्डू शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।	1. शोभा कुमारी 2. अरुण कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है एवं 3. गुड्डू शर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जाना बाकी है।	शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत
93.								
वर्ष 2015								
94.	बख्तियारपुर थाना कांड सं०-04 / 15, दि० 07.01.15 धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 / 120 बी / 34 भा०द०वि०	स्मार्ट ग्रो लाईफ सोल्युशन	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से सभी अभियुक्तों के विरुद्ध यह कांड सत्य पाया गया है।	—	पी०आर० बौंड-01	—	अन्य बिन्दुओं पर जाँच एवं अभियुक्तों का सत्यापन एवं गिरफ्तारी हेतु लंबित।	अनुसंधानान्तर्गत
95.	जमालपुर (मुंगेर) थाना कांड सं०-23 / 15, दि० 24.02.15 धारा 420 / 467 / 468 / 471 / 406 / 409 / 307 / 34 भा०द०वि०	रेलम इंडस्ट्रीज लि०	यह कांड वादी के कोर्ट परिवाद के आधार पर अभि० द्वारा वादी को प्रलोभन देकर कुल 18 हजार रुपये किस्त के हिसाब से जमा किया गया एवं गबन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। अनुसंधान के क्रम में प्राथमिकी नामजद अभियुक्तों एवं दो-तीन अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया है।	—	—	—	अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं कूकी-जप्ती हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत
96.	कोतवाली (मुंगेर) थाना कांड सं०-62 / 15, दि० 13.03.15 धारा	प्रयाग इन्सेटेक हाई-राईज लि०	यह कांड अभि० द्वारा षडयंत्र कर वादी से 53 हजार रुपये अमानत में ख्यानत करने के आरोप में दर्ज किया गया है। अनुसंधान के क्रम में प्राथमिकी	—	—	—	अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत

	420 / 406 / 504 / 34 भा0द0वि0		नामजद अभियुक्तों एवं दो-तीन अज्ञात के विरुद्ध सत्य पाया गया है।					
97.	बारसोई, कटिहार थाना कांड सं0 09 / 15 दि0 19.01. 15 धारा 420 / 467 / 468 / 47 1 भा0द0वि0	विश्वामित्र इंडिया	यह कांड अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से धारा 420 / 467 / 468 / 471 भा0द0वि0 के अंतर्गत प्राथ0 अभि0 1. मो0 ईस्तियाक अंसारी के विरुद्ध धारा 420 / 467 / 468 / 471 भा0द0वि0 के अंतर्गत सत्य पाया गया है तथा अप्राथ0 अभि0 2. विश्वकर्मा मंडल 3. विपिन कु0 सिंह के विरुद्ध साक्ष्य संकलन पश्चात अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर निर्णय लेने का उल्लेख किया गया है।		मो0 इस्तियाक अंसारी		अप्राथ0 अभियुक्तों के संलिप्तता के बिन्दु पर साक्ष्य संकलित करने हेतु।	अनुसंधानान्तर्गत।
98.	कोतवाली थाना कांड सं0 171 / 15	मपतक पदतिजतनबजनतमे बतचवतंजपवदए स्जकण	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कांड को सत्य पाया गया है।	1. डेबेन्चर सट्रिफिकेट 2. ब्याज का बाउचर	1. शोभा कुमार 2. अरुण कुमार एवं 3. गुड्डू शर्मा को कोतवाली थाना कांड सं0 601 / 14 से इस कांड में रिमांड किया गया है।	1. अरुण कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। शेष गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करना बाकी है।	शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु ।	अनुसंधानान्तर्गत
99.	आदमपुर थाना कांड सं0 45 / 15, दिनांक 18.01.15 धारा-420 / 406 / 4 09 / 467 / 468 / 47 1 भा0द0वि0	सनसाइन ग्लोबल एग्रो लि0	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कांड को सत्य पाया गया है।	—	—	—	—	अनुसंधानान्तर्गत
100	कोतवाली थाना कांड सं0 172 / 15	मपतक पदतिजतनबजनतमे बतचवतंजपवदए स्जकण	अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से सभी नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध कांड को सत्य पाया गया है।	1. डेबेन्चर सट्रिफिकेट 2. ब्याज का बाउचर	1. शोभा कुमार 2. अरुण कुमार एवं 3. गुड्डू शर्मा को कोतवाली थाना कांड सं0 601 / 14 से इस कांड में रिमांड	1. अरुण कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। शेष गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करना बाकी है।	शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु ।	अनुसंधानान्तर्गत

					किया गया है।			
--	--	--	--	--	--------------	--	--	--